05 180



भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1999/अग्रहायण 30, 1921	
No. 784]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1999/AGRAHAYANA 30, 1921	

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1999

का. आ. 1253(अ).— राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के 14 जुलाई, 1998 को नई दिल्ली में हुए छियालीसवें सम्मेलन के विनिश्चय के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पालन की जाने वाली समान संहमति प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है ;

केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया है और उनका यह दृष्टिकोण है कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पालन की जाने वाली समान सहमति प्रक्रिया का बनाया जाना अपेक्षित है जैसा कि उक्त रामिति द्वारा सहमति प्रक्रिया के औचित्य के संबंध में सिफारिश की गई है ;

अब, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पालन किए जाने के लिए समान सहमति प्रक्रिया का उपबन्ध करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से साठ दिन की अबधि की समाप्ति के पश्चात् जिसको उस अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, विचार किया जाएगा ;

कोई इच्छुक व्यक्ति, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई राुझाव या आक्षेप करना चाहता है, वह उसे यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण खंड, कमरा सं0 601, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003 को भेज सकेगा ।

प्रारूप नियम

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (समान सहमति प्रक्रिया) नियम, 1999 है ।

(2) ये इनके राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''केन्द्रीय बोर्ड'' से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुसूची से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) ''राज्य बोर्ड'' और ''समिति'' से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

3.(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति उद्योगों को सहमति देगी ।

(2) यह समान सहमति प्रक्रिया अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट उद्योगों को लागू होगी ।

4. <u>सहमति के लिए आवेदन -</u> (1) सहमति क़े लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप में होगा और उसके साथ अनुसूची 2 में विहित फीस होगी ।

(2) सहमति और प्राधिकार के लिए आवेदन साथ-साथ किया जाएगा ।

(3) कोई प्राधिकार ऐसे उद्योगों की बाबत अपेक्षित नहीं होगा जो विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के परिसंकटमय अपशिष्टों की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं और प्राधिकार के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए इस आशय का कथन पर्याप्त होगा कि वे ऐसे प्रवर्ग के परिसंकटमय अपशिष्टों की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं ।

्(4) आवेदन प्राप्त होने पर, यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति, सहविस्तारी आधार पर सहमति या प्राधिकार मंजूर कर सकेगा और कार्यभार तथा सुविधा के आधार पर भिन्न-भिन्न अन्तिम तारीखें मंजूर की जा सकेंगी ।

5. सहमति प्रक्रिया - (1) सहमति के लिए आवेदन पर कार्रवाई सहमति या प्राधिकार मंजूर करने के लिए संशक्त अधिकारी की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) सहमति के लिए आवेदन पर कार्रवाई सहमति या प्राधिकार मंजूर करने के लिए सशक्त अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के तीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) ''स्थापन के लिए सहमति'' के लिए आवेदन के निपटारे के संबंध में अवधि साठ दिन होगी ।

(4) सहमति के लिए आवेदन की बाबत कार्रवाई करने वाला अधिकारी ऐसी कार्रवाई पर रिपोर्ट अनुसूची 3 में दिए गए प्ररूप में सहमति या प्राधिकार मंजूर करने के लिए राशक्त अधिकारी को देगा ।

6. निरीक्षण, नमूना लेने की आवृत्ति और मानिटर करने की अनुसूची - (1) राज्य बोर्ड या समिति के अधिकारी उनके कर्मचारीवृन्द द्वारा निरीक्षण करने और नमूना लेने के लिए कार्यक्रम ऐसी रीति से बनाएंगे कि सतर्कता और मानिटर करने के प्रयोजनों के लिए सभी एकक उसके अन्तर्गत आ सकें ।

(2) नमूने का संग्रहण और उसके विश्लेषण के लिए प्रभार संबंधित एककों से वसूल किया जाएगा जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

(3) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति अनुसूची 4 में दिए अनुसार निरीक्षण और नमूना लेने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम निरीक्षण आवृत्ति का पालन करेगा ।

(4) सहमति आदेश में, यथास्थिति, बहिःस्राव और/या उत्सर्जन को मानिटर करने की अनुसूची विनिर्दिष्ट होगी ।

(5) उद्योग, यथास्थिति, बहिःस्राव और/या उत्सर्जन को मानिटर करने की अपनी स्वयं की क्षमताओं का निर्माण करेंगे।

(6) लघु एककों की दशा में बोर्ड या समिति को मानिटर करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए (क) केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, या (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं ली जाएंगी । (7) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से विश्लेषणात्मक क्वालिटी नियंत्रण (एक्युसी) कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से प्रयोगशालाओं की क्षमताओं का निर्धारण करेगी ।

(8) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति, वृहत् एककों के लिए विन्दुस्रोत उत्सर्जन और परिवेशी वायु, जल, ध्वनि आदि के लिए निरंतर मानिटरन प्रणाली के संस्थापन के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार शर्तें अनुबद्ध करने का विनिश्चय करेगी ।

(9) राज्य उद्योग विकास निगम अवसंरचना के भाग के रूप में उनकी औद्योगिक संपदाओं में उपचारित बहिःस्राव के संग्रहण और व्ययन के लिए तथा परिवेशी वायु, जल और ध्वनि (जिसके अन्तर्गत भूगर्भ जल भी है) के नियमित मानिटरन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. I

्(10) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति मानिटरन के लिए उपयुक्त स्थान, पैरामीटर और आवृत्ति का सुझाव दे सकेगी ।

7. सहमति आदेश का जारी किया जाना - (1) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति निम्नलिखित प्रबर्ग के प्रत्येक उद्योगों के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सहमति आदेश जारी कर सकेगी :-

 (I) लाल प्रवर्ग (रेड केटेगरी) के उद्योग 	दो यर्ष
(II) नारंगी प्रवर्ग (ओरेंज केटेगरी) के उद्योग	तीन वर्ष
(III) हरे प्रवर्ग (ग्रीन केटेगरी) के उद्योग	पाँच वर्ष

(2) सहमति या प्राधिकार आदेश अनुराूची 5 में दिए गए प्ररूप में जारी या नवीकृत किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति सहमति या प्राधिकार आदेश के परिशिष्ट में अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, अनुबद्ध कर सकेगी ।

8. प्राधिकार - यथास्थिति, राज्य बोर्ड या समिति प्राधिकार और सहमतियों में अधिक पारदर्शिता लाने के साथ शीघ्र मंजूरी के उद्देश्य से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उसमें कथित उद्योगों की बाबत सहमति या प्राधिकार मंजूर करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर संकेगी ।

9. <u>निर्बन्धनों का सहमति आवेदन का भागरूप होना -</u> केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य बोर्ड या समिति भावी उद्यमियों की जानकारी के लिए सहमति आवेदन के साथ उद्योगों के स्थान और विकास परियोजनाओं के विनियमन के लिए कतिपय क्षेत्रों और नदी द्रोणी के लिए अधिसूचित निर्बन्धनों के संबंध में जानकारी देने की व्यवरथा कर सकेगी ।

10. प्रदूषण न करने वाले उद्योगों के लिए सरलीकृत सहमति – (1) राज्य बोर्ड या समिति, राज्य सरकार या रांघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से सरलीकृत सहमति मंजूर करने के लिए लघु, कुटीर या छोटे उद्योगों के प्रवर्ग में प्रदूषणेतर उद्योगों की एक सूची तैयार करेगी ।

(2) प्रदूषणेतर प्रकार के एककों के उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को सहमति आदेश दस वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जा सकेंगे ।

11. <u>उद्योग आंकड़े शीट -</u> (1) राज्य बोर्ड या समिति और उनके फील्ड कार्यालय अनुसूची 7 में दिए गए प्ररूप में सहमति प्रबन्धन के लिए उद्योग आंकड़े शीट का उपयोग करेंगे ।

(2) केन्द्रीय बोर्ड, कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के दौरान कठिनाईयाँ यदि कोई हों, तो उन्हें दूर करने के लिए, प्ररूप का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

12. <u>उद्योगों का प्रवर्गीकरण -</u> सहमति प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए उद्योगों का प्रवर्गीकरण अनुसूची 8 में दिए अनुसार लाल (रेड), नारंगी (ओरेंज), और हरे (ग्रीन) रंग के प्रवर्गों में किया जाएगा ।

> [फा. सं. क्यू-15015/129/90-सीपीडब्स्यू] के. रॉय पॉल, अपर सचिष

<u>अनुसूची - 1</u> [नियम 4 देखिए] जल, (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति और परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और नियंत्रण) नियम, 1989 के अधीन प्राधिभार देने के लिए समान आवेदन

सं०

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले संलग्न प्रारूप तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएं । आवेदक द्वारा उसकी एक प्रति रखी जाए ।

सहमति/प्राधिकार के लिए आवेदन प्रारूप को भरने के लिए स्पटीकारक टिप्पण

- (1) कोई आवेदक जान-बूझकर आवेदन के किसी मद के संबंध में गलत सूचना देता है या किसी जानकारी को छिपाता है तो वह सुसंगत अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा।
- (2) आवेदन, आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए पते पर बोर्ड के मुख्यालय पर या संबंधित बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण सगिति के आंचलिक या प्रादेशिक या उप-प्रादेशिक या जिला कार्यालय में, जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक के क्रियाकलाप आते हैं, प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) आवेदन के साथराज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में सहमति फीस लगी होगी ।
- (4) जिन मदों पर * चिह्नित है, उनमें से जो सुसंगत नहीं है उसे काट दें ।
- (5) यदि कोई मद आवेदक के क्रियाकलाप से सुसंगत नहीं है तो कृपया ख़लागू नहींख लिखें ।
- (6) यदि किसी मद का उत्तर देने के लिए स्थान अपर्याप्त हो तो सम्यक् रूप से प्रतिनिर्देशित अतिरिक्त पत्र का उपयोग करें ।
- (7) मद 1: उस व्यक्ति का नाम दें जिसे आवेदक द्वारा अपने कारोबार के संव्यवहार के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
- (8) मद 2: उन संबंधित संस्थाओं का भी उल्लेख करें जिनके प्रशासनाधीन क्षेत्र में इकाई आती है ।
- (9) प्ररूप के साथ आवेदन प्ररूप के अंतिम पृष्ठ पर विनिर्दिष्ट सुसंगत दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे ।
- (10)पूंजी विनिधान संदत्त की जाने वाली संहमति फीस इकाई के सकल नियत पूंजी विनिधान के आधार पर, आवेदन की तारीख तक अवक्षयण के बिना होगी । सकल पूंजी विनिधान के अन्तर्गत भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी की लागत अवक्षयण के बिना सम्मिलित होगी ।

सहमति/प्राधिकृत करने के लिए आवेदन प्रारूप

द्वारा :

सेवा में,

.....प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

महोदय,

मैं/हम निम्नलिखित के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं *

- (i) यथासंशोधित जल, (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और धारा 26 के अधीन रथापित करने/प्रचालित करने/नवीकरण के लिए सहमति ।
- (II) यथासंशोधित वायु, (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन स्थापित करने/प्रचालित करने/नवीकरण के लिए सहमति ।

:

:

:

:

:

:

:

;

:

:

::

:

:

:

(iii) मेरा/हमारा विद्यमान/प्रस्तावित/संपरिवर्तित/अतिरिक्त विनिर्माण करने/प्रसंस्करण संक्रिया करने के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परिसरों के संबध में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हयावत) }नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन प्राधिकार/प्राधिकार का नवीकरण ।

भाग क : साधारण

1. आवेदक/अधिभोगी/उद्योग/संस्था/स्थानीय निकाय का नाम, पदनाम, टेलीफोन
और फैक्स सं0 सहित कार्यालय पता ।
2.(क) उस औद्योगिक इकाई/परिसर का नाम और अवस्थिति जिसके लिए
आवेदन किया गया है (राजस्व सर्वेक्षण सं0/प्लाट सं0, ताल्लुक और जिले
का नाम, टेलीफोन और फैक्स संo भी दें)
(ख) स्थानीय निकाय/नगर और ग्राम योजना प्राधिकरण/महानगर विकास
प्राधिकरण से नियोजन की अनुझा प्राप्ति के ब्यौरे ।
(ग) उस स्थानीय निकाय का नाम जिसकी अधिकारिता के अधीन इकाई
अवस्थित है और अनुझप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम।
3. उस प्रबंध निदेशक/प्रबंध भागीदार और अधिकारी का नाम, टेलीफोन और
फैक्स सं0 सहित पता जो प्रदूषण नियंत्रण/या परिसंकटभय अपशिष्ट व्ययन
से संबंधित है ।
 (क) क्या आप लघुउद्योग इकाई के रूप में रजिस्टीकृत हैं ?
(ख) यदि हाँ, तो रजिस्ट्रीकरण की सं0 और तारीख दें ।
5. आवेदन की तारीख तक अवक्षयण के बिना इकाई का सकल पूंजी विनिधान
(भवन, भूमि, संयंत्र और मशीनरी की लागत)
(किसी शपथपत्र, वार्षिक रिपोर्ट या किसी चार्टरित लेखाकार से प्रमाणपत्र द्वारा
समर्थित हो, प्रस्तावित इकाई/इकाईयों के लिए प्राक्कलित आँकड़े दें ।)
 यदि कार्यस्थल समुद्र तट/नदी तट/अन्य जल निकायों के निकट अवस्थित है,
तो जल निकाय से दूरी और उसका नाम, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें ।
7. क्या अवस्थिति, सुसंगत केन्द्रीय/राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत
दी गई अपेक्षाओं, अर्थात् तटीय विनियमन जोन, पारिस्थितिकीय भंगुरण क्षेत्र
संबंधी अधिसूचना, औद्योगिक अवस्थिति नीति इत्यादि को पूरा करती है,
यदि ऐसा हो तो ब्यौरे दें।
 यदि कार्यस्थल अधिसूचित औद्योगिक नीति भूरांपदा में स्थित है, तो
(क) क्या प्राधिकरण द्वारा बहिःस्राव संग्रहण, उपचार और व्ययन पद्धति
उपबंधित की गई है
(ख) यदि उपबंध किया गया है तो क्या आवेदक प्रणाली का उपयोग करेगा
(ग) यदि उपबंध नहीं किया गया है तो प्रस्तावित व्यवस्था के ब्यौरे ।
 कुल प्लाट क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र और उप्रचारित मल/व्यापार बहिःस्राव के उपयोग
के लिए उपलब्ध क्षेत्र ।
10. इकाई को किस मास और वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है
11. कर्मकारों और कार्यालय कर्मचारीवृन्द की संख्या
12.(क) क्या आप के पास उस परिसर के भीतर रिहायशी कालोनी है, जिसकी
बाबत वर्तमान आवेदन किया गया है ?
(ख) यदि हाँ, तो कृपया निवास कर रही जनसंख्या का उल्लेख करें
(ग) संयंत्र स्थल के संबध में इसकी अवस्थिति और दूरी उपदर्शित करें ।
13. टन/मास/किलो/मास या सं0/मास में विनिर्मित उत्पाद और उपोत्पाद की
सूची (अधिकतम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के समरूप आँकड़े दें)
14. टन/मास या किलो/मास या सं0/मास में उपरिवर्णित उत्पाद के समरूप
कच्ची सामग्री और संक्रिया रसायनों की वार्षिक खपत सहित सूची ।
15. प्रत्येक उत्पाद के लिए ठोस, द्रव और गैस अपशिष्ट, यदि कोई हो, के लक्ष्य
या उत्पादन, क्वालिटी और मात्रा को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक इकाई

5

प्रसंस्करण से विनिर्माण की प्रक्रिया का विवरण । (स्रावशीट और/या सामग्री अवशेष द्वारा समर्थित हो) भाग ख : अपशिष्ट जल पहलू 16. विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए जल की खपत (घनमी0/दिन) औद्योगिक प्रशीतन, खान गड्ढों या बायलर फीड में छिड़काब. (॥) घरेलू प्रयोजन (III) प्रसंस्करण जिसके द्वारा जल प्रदूषित होता और प्रदूषक जो आसानी से जैविक नुकसान करने वाले है और वे विषैले हैं (iv) प्रसंस्करण जिसके द्वारा जल प्रदूषित होता और प्रदूषक जो आसानी से जैविक नुकसान नहीं करते हैं और विषैले नहीं हैं (v) अन्य जैसे कृषि, बागवानी इत्यादि (विनिर्दिष्ट करें) कुल 17. जल प्रदाय का स्रोत अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम यदि लागू हो, और अनुज्ञात मात्रा 18. उत्पादित जल अपशिष्ट की मात्रा (बहिःस्राव)(धनमी0/दिन) (1) घरेलू (ii) औद्योगिक 19. जल खपत और उत्पादित बहिःस्राव के बीच अन्तर की गणना करने के लिए ł जल बजट संगणना 20. मल/कैन्टीन बहिःस्राव का वर्तमान उपचार (उपचार इकाईयों का आकार/क्षमता बताएं) 21.व्यापार बहिःस्राव का वर्तमान उपचार (उपचार इकाईयों का आकार/क्षमता बताएं) (प्रत्येक इकाई संक्रिया/प्रसंस्करण के प्रवेश मार्ग/निकास मार्ग सहित उपचार स्कीम का स्कीमयुक्त आरेखण, बनाया जाए । अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली (अवमल) के ब्यौरे सम्मिलित करें)) 22.(क) क्या मल और व्यापार बहिःस्राव आपस में मिले हुए हैं ? (ख) यदि हाँ, तो किस प्रक्रम पर - क्या पूर्व में, मध्य में या उपचार के पश्चात् 1 23. उपचारित बहिःस्राव निगर्त सुरक्षा तालाब, यदि कोई हो, की क्षमता । 24. प्रत्येक की मात्रा सहित उपचारित बहिःस्राव की व्ययन की रीति, घनमी0/दिन (।) झरना, /नदी (नदी का नाम) में • (॥) संकरी खाड़ी/मुहाने में (संकरी खाड़ी/मुहाने का नाम) ()) समुद्र में (iv) नाला/मल नाली में (मलनाली का मालिक) (v) स्वामित्वाधीन भूमि/पट्टा भूमि पर सिंचाई के लिए भूमि (फसल क्षेत्र विनिर्दिष्ट) करें) (सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो) (vi) पुनः प्रयुक्त/पुनर्चक्रित उपचारित बहिःस्राव की मात्रा नमूने के लिए निकासी को उपदर्शित करते हुए व्ययन व्यवस्था की अवस्थिति का मानचित्र उपलब्ध कराएं | 25. अनुपचारित/उपचारित बहिःस्राव की क्वालिटी (पीएच और एसएस, बीओडी, सीओडी की सांद्रता विनिर्दिष्ट करें और उद्योग से सुसंगत विशिष्ट प्रदूषक बताएं। टीडीएस को भूमि पर या झरना/नदी में व्ययन के लिए रिपोर्ट की जाए) राज्य बोर्ड/समिति/केन्द्रीय बोर्ड/पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार की अनुमोदित प्रयोगशाला से विश्लेषण की अद्यतन रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें । प्रस्तावित इकाई के लिए अनुपचारित/उपचारित बहिःस्राव की

आशयित विशेषताएं प्रस्तुत करें ।

भाग - गः वायु उत्सर्जन पहलू

26. ईंधन की खपत

		कोयला	एल.एस. एच.एस.	भट्टी का तेल	प्राकृतिक गैस	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	(क) ईंधन की खपत (टी.पी.डी.)					,
	(ख) कैलोरिफिक मूल्य					
	(ग) राख तत्व प्रतिशत					
	(घ) गंधक तत्व प्रतिशत					
	(ड) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
27. *	वट्टे के ब्यौरे :					
	(क) चट्टा संख्यांक		1	2	3	4
	(ख) से संलग्न					
	(ग) ईंधन का प्रकार					
	(घ) ईंधन की मात्रा					
	(ड) निर्माण की सामग्री					
	(च) आकृति (गोल / आयताकार)					
	(छ) ऊंचाई मीटर में (समुद्र तल से ऊपर)					

- (ज) ब्यास / आकार, मीटर में
- (झ) गैस की मात्रा एन.घनमीटर /प्रतिघंटा
- (ञ) गैस तापक्रम, डिग्री सेल्सियस
- (ट) गैस निकास का वेग, मीटर प्रति सेकंड में
- (ठ) चट्टे के पीछे नियंत्रण उपस्कर (सुसंगत प्रदूषकों के सान्द्रण के प्रवेश / निकास को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक नियंत्रण उपस्कर की अपशिष्ट प्रबंध पद्धति सहित विनिर्देश संलग्न करें)

28. क्या आपके पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशन ''उत्सर्जन के विनियम भाग 37 (दिसंबर, 1985) के अनुसार उत्सर्जन के नमूने एकत्रित करने के लिए पत्तन छिद्र, चबूतरा, सीड़ी आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं हैं

29. उपचारित फ्लू गैस उत्सर्जन और प्रक्रिया उत्सर्जन की क्वालिटी

(चट्टेवार मानदंड प्रदूषक और औद्योगिक/प्रक्रिया ≁विशिष्ट प्रदूषकों के सान्द्रण को विनिर्दिष्ट करें । राज्य बोर्ड / केंद्रीय बोर्ड / केंद्रीय सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से विश्लेषण की अद्यतन प्रति संलग्न करें । प्रस्तावित इकाईयों के लिए उत्सर्जन की आशयित विशेषताएं प्रस्तुत करें ।

भाग घ : खतरनाक अपशिष्ट पहलू

30. (क) क्या इकाई यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 में यथापरिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादित कर रहा है |

- (ख) यदि ऐसा है तो प्रवर्ग संख्यांक
- 31. के लिए अपेक्षित प्राधिकार
 - (i) परिसंकटमय अपशिष्ट का संग्रहण
 - (ii) प्राप्ति
 - (III) उपचार
 - (iv) परिवहन
 - (v) भंडारण
 - (vi) व्ययन

32. उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा

(कि.ग्रा. प्रतिदिन) या (मि.टन.प्रतिमास)

33. परिसंकटमय अपशिष्ट/अपशिष्टों की विशेषताएं/ सुसंगत प्रदूषको का सान्द्रण विनिर्दिष्ट करें । राज्य बोर्ड/केंद्रीय बोर्ड/केंद्रीय सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से विश्लेषण की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें । प्रस्तावित इकाई के लिए आशयित विशेषताएं प्रस्तुत करें ।

34. भंडारण की रीति (मध्यवर्ती या अंतिम)

(क्षेत्र, अवस्थिति और कार्यप्रणाली का वर्णन करें) ।

35. परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्तमान उपचार यदि कोई हो (उपचार इकाई का प्रकार और उसकी क्षमता बताएं)

36. परिसंकटमय अपशिष्ट व्ययन की मात्रा

- (1) कारखाने के भीतर
- (ii) कारखाने के बाहर (अवस्थिति विनिर्दिष्ट करें और करार की प्रतिग्रें संलग्न करें)
- (III) विक्रय के माध्यम से (करार की प्रतियों का दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)
- (iv) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर, यदि हां तो (i) और (iii) की विशिष्टियां
- (v) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

भाग छ : अतिरिक्त जानकारी

37. (क) क्या आपके पास बहिस्राव/उत्सर्जन और/या परिसंकटमय अपशिष्ट के उपचार और ब्ययन के लिए वर्तमान पद्यति के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव है

(ख) यदि हां तो कार्यान्वयन के लिए सभय-सूची सहित उस पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा दें ।

38. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं अर्थात बहिस्राव, उत्सर्जन, परिसंकटमय अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, वृक्षारोपण, मानीटर करने, आंकड़े अभिग्रहण करने आदि के संबंध में पूंजी और आवर्ती (कार्यालय और पद्धति) व्यय (कार्यान्वित/ कार्यान्वित की जाने वाली मदो के लिए। आंकड़ें अलग से बताएं)

. 39. विद्युत ऊर्जा की खपत को अभिलिखित करने के लिए कौन से प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर , पृथक मीटर अधिष्ठापित किए गए हैं ?

40. कौन सी प्रदूषण नियंत्रण मदें डी.जी. सेट से जोड़ी गई हैं (कैप्टिव विद्युत स्रोत) जिससे कि सामान्य विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में उनका संचालन किया जा सके ?

41. विनिर्माण प्रक्रिया और अपशिष्ट उपचार से पृथक रूप से उत्पादित गैर परिसंकटमय होस अपशिष्ट के व्ययन 'की प्रणाली और प्रकृति तथा मात्रा (आवेदक की भूमि मे उपलब्ध क्षेत्र/क्षमता का ब्यौरा दें)

42. परिसंकटमय रसायन विनिर्माण भंडारण और आयात निथम, 1989 के अधीन यथा परिभाषित परिसंकटमय रसायन

(क)भण्डारित परिसंकटमय रसायनों की सूची (आयातित और रषदेशी)

(ख) अलग थलग भंडारण का ब्यौरा, यदि कोई हो

(ग) तैयार की गई आपात कालीन योजना के ब्यौरे (कार्यरथल पर)कार्थरथल से दूर)

43. आवेदक के परिसर के भीतर वृक्षारोपण/हरित पट्टी के विकास का संक्षिप्त ब्यौरा

44. अपशिष्ट न्यूनीकरण, संसाधन बहाली और पुनर्चक्रण के लिए स्कीमों की जानकारी- कार्यान्वित और वे जो कार्यान्वित की जानी है अलग-अलग बताएं

45. कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी जिसे आवेदक देना चाहता है ।

46. मैं/हम आगे यह और घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी जहां राक

मुझे/हमें पता है सही है।

47. मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि इस आवेदन में कच्ची सामग्री, उत्पाद, विनिर्माण की प्रक्रिया और उपचार और या बहिसाव उत्सर्जन, परिसंकटमय अपशिष्ट के ब्ययन के बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें किसी परिवर्तन की दशा में मात्रा और क्वालिटी में कोई परिवर्तन होता है तो सहमति/प्राधिकार के लिए नए सिरे से आवेदन किया जाएगा और नए सिरे से सहमति/प्राधिकार की प्राप्ति होने तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

48. मैं/हम वचन देते हैं कि बोर्ड/समिति द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी इसके मांगे जाने से एक मास से भीतर प्रस्तुत कर देंगे।

49. मैं/हम बोर्ड को सहमति/प्राधिकरण के नवीकरण के लिए उसकी विधिमान्यता की अवधि को समाप्ति की तारीख से दो मास पहले सहमति/प्राधिकार को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

50. मैं/हमप्रियंत्रण बोर्ड/समिति के पक्ष में सहमति/प्राधिकार की फीस के रूप में संलग्न करते हैं।

भवदीय

संलग्न दस्तावेज :

- 1. सहमति फीस/प्राधिकार के लिए मांगदेय क्राफ्ट।
- 2. वार्षिक रिपोर्ट से वचनबद्ध या शपथपत्र या विवरण या सकल सावधि पूंजी विनिधान के समर्थन में चार्टरित लेखाकार से प्रमाणपत्र।
- 3. स्थल आरेख अवस्थिति मानचित्र (सभी अन्य आवेदकों और विस्तारणों के लिए अनिवार्य)।
- यूनिट की मुख्य नदी या खाड़ी के उच्च ज्वार/मुहाने से दूरी के संबंध में (अधियियम के अधीन घोषित) और पत्थर पिसाई की बाबत राजमार्ग और आवास बस्तियों से दूरी के लिए घोषणा।
- घट्टे (चिमनी) बहि:साव उपचार संयंत्र, बहि:साव व्ययन क्षेत्र, वायु प्रदूपण नियंत्रण युक्तियों, परिसंकटमय अपशिष्ट और व्ययन क्षेत्र की अवस्थिति दर्शाने वाले योजना आरेख।
- प्रत्येक उत्पाद के लिए विनिर्माणकारी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत टिप्पण सहित विनिर्माणकारी प्रक्रिया बहाव शीट।
- अद्यतन सहमति/प्राधिकार/पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण स्वीकृति की प्रतियां।
- 8. लघु उद्योग रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की, यदि लागू हो, की प्रति।
- 9. आशय का पत्र/विभाग से औद्योगिक अनुद्रपि स्वीकृति या कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज (कृपया स्पष्ट करें) की प्रतियां।
- 10. स्थानीय निकायों/जिला/नगर-ग्राम नियोजन/महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा जारी को गई योजना की अनुमति की प्रतियां।
- टिप्पण : प्रथम आवेदन के लिए क्रम सं. 2 से 11 के दस्तावेज आवश्यक हैं। मवीकरण के लिए आवेदन के लिए केवल क्रम सं. 7 के दस्तावेज आवश्यक हैं।

अनुसूची- 2

[नियम 4 देखिए]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जल, (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति प्रदान करने के लिए प्रभारित की आनेवाली वार्षिक सहमति फीस ।

क्रम सं0	पूंजी विनिधान		चालित करने	
		क लिए र	हमति (रू0)	
		लाल	नारंगी	हरा
1.	5 लाख से नीचे	1,500	1,000	500
2.	5+ से 10 लाख	3,000	2,000	1,000
З.	10+ से 50 लाख	15,000	10,000	5,000
4	50+ से 1 करोड़	30,000	20,000	10,000
5.	1+ से 5 करोड़	75.000	50,000	25,000
6.	5+ से 10 करोड़	1,20,000	80,000	40,000
7.	10+ से 25 करोड़	1,50.000	1,00,000	50 ,000
8.	25+ से 50 करोड़	1,80,000	1,20.000	60,000
9.	50+ से 100 करोड़	2,25,000	1,50,000	75,000
10.	100+ से 1000 करोड़	5,00,000	2,50,000	1,75,000
11.	1000 करोड़ से ऊपर	10,00,000	5,00,000	2,50,000

टिप्पण - ऊपर वर्णित 11 स्तरों में सहमति फीस के न्यूनतम और अधिकतम के बीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रति वर्ष के लिए अधिक संख्यां में सहमति फीस के स्तर विहित किए जा सकोंगे ।

अनुसूची - 3 [नियम 5 (4) देखिए] सहगति प्रदान करने/नवीकरण कं लिए आंधेदन की प्रक्रिया संबधी स्पिर्ट का प्ररूप

1 उद्योग का नाम 2. पूंजी विनिधान 3. पूंजी विनिधान जिससे सत्यापित : उद्यांग/चाटर्ड एकाउन्टेट के प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तूत यार्षिक रिपौर्ट/वचनबंध 4.कारखाना आरंग करने का वर्ष 5 (क) बोर्ड/समिति द्वारा अनुमांदित साधारण वर्गीकरण : लाल/नांस्गी/हरा कं अनुसार उद्योग का प्रवर्ग तथा टाईप (ख) उद्योग का वर्गीकरण ः बृहत/मध्यम/तम् 6.विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार प्रवर्ग (संवेदनशील अवस्थान की दशा मे) ७ अवस्थान (क) किसी अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र मे हो/नहीं (ख) संयेदनशील क्षेत्र मे : हा/ नहीं यदि हां तो संवेदनशील क्षेत्र का नाम (ग) किसी अन्य यिनिर्दिष्ट क्षेत्र की दशा में (घ) नदी/उच्च ज्यार रेखा से दूरी (निकटतम दूरी) (ड) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दूरी (च) निकटतम बस्ती से दूरी तथा उसकी जनसंख्या 8. पूर्वत्तर प्रदत्त की गई सहमति की स्थिति प्रौक.सं और तारीख विधिमान्यता (तक) क्र.सं. जल (क) (শ্ব) वायु परिसंकटमय अपशिष्ट (ग) .9. (क) विनिर्मित उत्पाद (सहमत मात्रा दर्शित करे) उपोत्पाद (ख) (ग) मध्ययर्ती उत्पाद (उत्पादन का वर्तमान स्तर उपदर्शित करे) क्या कोई अतिरिक्त उत्पाद/उपोत्पाद विनिर्मित किए जाने का प्रस्ताय है । यदि हां, तो यिनिर्मित किए जाने वाले नए उत्पादो का नाम और मात्रा का उल्लेख करें (घ) यदि आयातित परिसंकटमय अपशिष्टों का कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से अगिप्राप्त अनुज्ञा कं बारे में ब्यौरे यदि कोई हो । 10. विस्तार की दशा में कृपया उल्लेख करें कि क्या विस्तार निम्नलिखित कं कारण है (क) संयंत्र और गशीनरी में विस्तार (ख) उपयोगिता क्षमता

:

(ग) आधुनिकीकरण या कठिनाईयों को दूर करना

11.जल प्रदुषण नियंत्रण

(क) जल बजट

घरेलू		पर्माग त.डी.में)		ाय उत्पादन एल.डी.मे)
	पूर्ववर्ती	वर्तमान	पूर्वयत्ती	यर्तगान
जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट जल उत्पादन कप्लेवाली औद्योगिक प्रक्रिया				
अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट जल उत्पादन करनेवाली औद्योगिक प्रक्रिया				
औद्योगिक शीतलन यायलर भरण, डी.एम. संयत्र, इत्थादि ।				

•

1

2

(ख) क्या उत्पादित मल/व्यापार बहिःखाय मात्रा में कोई 👘 हां/नहीं युद्धि है और यदि ऐसा है तो मात्रा उपदर्शित करें

(उल्लेख करें कि क्या बहिःसाव भात्रा में वृद्धि स्वीकार्य है या नहीं)

12. मल/ व्यापार बहिःस्राव शोधन कं लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे । रादि मल और व्यापार बहिःसाव का सम्मिलित रूप से शोधन किया जाता है तो ब्यौरे उपदर्शित करे ल्या क्या ये पर्याप्त/अपर्याप्त हैं और उनके अनुपालन में हैं ।

13 मल/ व्यापार बहिःसाय व्ययन के लिए की गई व्यवस्था के ब्यौरे - पर्यायरणीय जल पर प्रभाव का परीक्षण

14. मत/ व्यापार बहिःसाव व्ययन के लिए की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त व्यवस्थाओं के ब्यौरे जिन्हें किए जाने का प्रस्ताव है

15. शोधित अपशिष्ट जल की विश्लेषण रिपोर्ट

(क) ग्यापार बहिः साव या संयोजित बहिः साव

नमूना लेने की तारीख और किसके द्वारा नमूना लिया गया	पी.एघ सेक बोच	मि.ग्रा/प्रति लिटर मे डी.ओ.	मि.ग्राग्रति लिएर मे .बी.ओ.डी	मि.ग्रम्यति लिटर ग सी.ऑ.डी	मि.ग्राधारी लिटर में एस.एस	मि.ग्रापति लिटर में आं.एंड जी.	अन्य सुसंगत परिमाप

(ख) मल

नमूना लेने और नमूने	पी. एघ	भि.ग्राहति लिटर मे	बी.ओ.डी (अदिन, 27. से)
संग्रहीत करने की तारीख		टी एस एस	/
		(/	Ţ]

टिप्पण : यदि उद्योगों का बहित्साव 600एम) प्रतिदिन, से अधिक है तो संयुवन सतर्कता नमूने के नवीनतम विश्लेषण परिणामों का उल्लेख किया जाए ।

16.	(क)	<u>यायु</u>	प्रदूषण	निर्यत्रण
-----	---	----	-------------	---------	-----------

धुआरा सं.	उंचाई	व्यास	(प्रसंस्करण अनुभाग ,वायलर और डी.जी. सेट) सं संलग्न धुआंश	गेस की भाजा	गैस का वंग	उपलब्ध यायु प्रदूषण निर्थत्रण उपाय और उनकी दक्षता	परिमाप	1
								T
						· · ·		

16 (ख) प्रक्रिया उत्सर्जन के अन्य स्रोत	:
17: के.वी.ए. में क्षमता सहित डी.जी. सैट	:
18. यायलर का नाम, प्रकार, वाष्प उत्पादन क्षमता	:
(ट/घ) और प्रत्येक यायलर में प्रयुक्त इंधन की मात्रा	
सहित ब्यौरे	
19. संख्थापित यायु प्रदूषण नियंत्रण उपरकर के ब्यारे	:
20. उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त वायु	;
ं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, यदि कोई हो	
21 आशुलोपी उत्सर्जन - निर्धारण	:
22. ध्यनि स्तर - निर्धारण	:
23.परिसंकटमय अपशिष्ट	
 उत्पादित अपशिष्ट का प्रवर्ग और मात्रा 	:
2. परिसंकटमय अपशिष्ट के शोधन के लिए व्यवस्थ।	:
3. परिसंकटगय अपशिष्ट के व्ययन के लिए व्ययस्था	:
4. विक्रय द्वारा अपशिष्ट का व्ययन किए जाने की दशा	:
में उस पक्षकार का नाम जिसे परिसंकटमय अपशिष्ट	
बेचा जाता है	
5. बंद शैड/आधानों में अपशिष्ट भेडारित किए जान की	:
दशा में ब्यौरे उपदर्शित करें	
 भूमिभरण में अपशिष्ट का भंडारण/व्ययन किए जाने 	:
की दशा में भूमिभरण स्थल, अवस्थान, विस्तार, आस्तर,	
क्षमता आदि के ब्यौरे	
7. क्या मूमिभरण स्थल कं लिए विक्वालन संग्रहण	;
·त्यवस्था की गई है	
८. क्या विक्षालन शोधन सुविधा से जुड़ी हुई है. शोधन	:
कं स्यौरे	
24. अपरिसंकटमय ठोस अपशिष्ट	
1. किस्म	:
2. শাস্বা	;
3. शोधन के लिए व्यवस्था	:
 व्ययन के लिए व्यवस्था 	:
25 . परिसंकटमय रसाथन	

(क) भंडारण के स्यौरे	1	
(ख) वया औद्योगिक सुख्या तथा खास्थ्य निवंशालय	:	
रथानीय निकाय (या) विस्फोटक विभाग जैस संबद्ध		
प्राधिकरणों से अनुझा ली जाती है		
(ग) क्या आपदा प्रबंध योजना स्थल पर ही तैयार की	:	
जाती है और मौक ड्रिल कालिकतः की जाती है		
(घ) क्या लोक दायित्व बीमा, लोक दायित्व बीमा	:	
अधिनियम, 1991 के अनुसार अभिप्राप्त की जाती है		
28. जल उपकर		
1.1991 में यथा सेशोधित, जल(प्रदूषण निवारणं तथा	:	
नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की अनुसूची 2 के		
अनुसार उद्योग का प्रवर्ग		
2.क्या जल उपभोग के विभिन्न स्थानों पर मीटर लगा	:	
दिए गए हैं		
3. वह अवधि जिस तक एकक द्वारा जल उपकर	:	
संदत्त कर दिया गया हे		
27. वह अवधि जिस तक एकक द्वारा पर्यावरण (लेखा	:	
परीक्षा) विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है		
28. क्या एकक ने पर्यावरणीय अनापत्ति/पूर्यवर्ती	:	
सहमति, जो भी सुसंगत हो, में नियत शर्तों का		
अनुपालन किया है		
29. वृक्षारोपण		
(क) एकक के परिसर के भीतर उपलब्ध कुल खाली	:	हेक्टेयर
(क) एकक के परिसर के भीतर उपलब्ध कुल खाली भूमि	:	हेक्टेयर
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	हेक्टेयर हेक्टेयर
भूमि	:	
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या	: : :	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (या) के लिए पृथक	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगाया जाता है 31. एकक का विधिक अमिलेख	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगाया जाता है	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (या) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलंख 32. क्या एकक के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (या) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौर	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (या) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध काई विधिक वर्गर्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौर टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षों की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगाया जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौर टिप्पणियां (क) अवस्थान		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगथा जाता है 31. एकफ का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध काई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का प्रचालन और अनुरक्षाण		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुजेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध काई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का प्रचालन और अनुखाण (घ) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता	:	हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगथा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध काई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणिया (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा ब्ययन) का प्रचालन और अनुरक्षण (घ) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र वर्श पर्याप्तता (ड) विहित किए जाने वाले मानक क्या है और		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यां) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगभ्या जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के यिरूद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का प्रवालन और अनुरक्षण (घ) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता (ड) विहित किए जाने वाले मानक क्या है और प्रस्तावित मानकों के लिए कारण		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृष्तारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगधा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद काई विधिक कार्रवाई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणिया (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्ञेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का प्रवालन और अनुरक्षाण (घ) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता (ड) विहित किए जाने वाले मानक क्या है और प्रस्तावित मानकों के लिए कारण (च) निकटवर्ती उद्योगों की जांच के पश्चात प्रदृष्ति		हंवरंयर
भूमि (ख) कितने पर वृक्षारोपण किया गया है (ग) लगाए गए वृक्षो की संख्या 30. क्या प्रदूषण नियंत्रण पद्धति (यो) के लिए पृथक विद्युत मीटर लगथा जाता है 31. एकक का विधिक अभिलेख 32. क्या एकक के विरूद्ध काई विधिक वर्गर्श्याई की गई है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे टिप्पणियां (क) अवस्थान (ख) क्या उत्पाद अनुज्जेय है या नहीं (ग) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र (शोधन तथा व्ययन) का प्रचालन और अनुरक्षाण (घ) प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता (ड) विहित किए जाने वाले मानक क्या है और प्रस्तावित मानकों के लिए कारण (च) निकटवर्ती उद्योगों की जांच के पश्चात प्रदूषित जल और वायु से पर्यावरण पर होनेवाला प्रभाव तथा	:	हंवरंयर

एसा है तो उसक ब्यौरे और समीक्षा

सिफारिशें

रार्ष से से संख्या ताशिख	रकम	 ~ ~
(घ) संदत्त सहमति फीस के ब्यौर	:	
(ग) यदि नहीं, तो सुझाई गई आगे की कार्रयाई	:	
(ख) यदि हां, तो सहमति की विधिमान्यता अवधि	•	
(क) क्या सहमति प्रदान की जाए	: हा/नहीं	

हरताक्षर	:						• •		•							 				,	•	•
नाम	;			•	•	• •			•			•	• •					•	•		•	
पद	;	1	 			•								•	• •		,					

अनुसूची - 4 [नियम 6 (3) देखिए] निरीक्षण और नमूने लेने की आवृत्ति

क्र.स 1	उद्योग का आकार	उद्यांग का प्रवर्ग	निरीक्षण और बहिःस्राय नमूने लेने की आवृत्ति
1.	लघु	लाल	12 गहीने में एक बार
2.	ेल घु	नारंगी	3 वर्षों में एक बार
3.	सरलीकृत सहमति की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले अप्रदूषणकारी लघु उद्योग/अतिलघु एकक	हरा	आकस्मिक जांच के आधार पर 3 वर्षों में एक बार
4.	्यृहत और मध्यम	लाल	3 गहीने में एक बार
5.	वृहत और मध्यम	नारंगी	6 महीने में एक बार
6.	वृहत और मध्यम	हरा	12 महीने में एक बार

टिप्प्ण :

(1) यायु उत्सर्जन (स्रोत और परिवेश बिंदु) के लिए नमूना लंने की आवृत्ति " उत्सर्जन विनियमन माग 3" दिसम्बर 1985 नामक सी.पी.सी.बी. दस्तावेज में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगी । एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. इस दस्तावेज के अंतर्गत न आने वाले उद्योगों के लिए नमूना लंने की आवृत्ति को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करेगी । (2) उद्योग को मासिक आधार पर और मानिटरिंग आवृत्ति तथा सहमति आदेश में नियंत परिभाषों के अनुसार मानिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश किया जा सकेगा ।

(3) जन शक्ति और स्रोतों/अवसंख्वना आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एस.पी.सी.बी.एस., -आवृत्ति में यथाआवश्यक, आवृत्ति में सुधार कर संकेगा ।

अनुसूची - 5 [नियम 7 (1) देखिए] सामान्य सहमति आदेश/प्राधिकार के लिए प्ररूप

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति.....

सहमति सं.

तारीख.....

यथासंशोधित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन और यथासंशोधित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन ख्यापना/प्रचालन के लिए सहमति और यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और ह्थालन) नियम, 1989 (जिन्हें क्रमशः जल अधिनियम, वायु अधिनियम और प.अ. (प्र और ह) नियम कहा गया है,) के नियम 5 के अधीन प्राधिकार/प्राधिकार का नवीकरण ।

जल अधिनियम/वायु अधिनिथम के उपबंधों के अधीन घोषित क्षेत्र में अवस्थित गैसर्स

.

को सहमति और प.अ. (प्र और ह) नियमों के उपबंधों के अधीन प्राधिकार, उक्त अधिनियम और नियमों के तथा ऐसे आदेशों के जो आगे किए जा सकेंगे, उपबंधों के अधीन रहत हुए तथा निम्नलिखित अनुबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है:-

1. (क) स्थापना/प्रचालन के लिए सहमति.....तक की अवधि के लिए प्रदान की जाती है ।

(ख) प.अ. (प्र और ह) नियमों के अधीन प्रदत्त प्राधिकार की विधिमान्यता यद्यपि उसके जारी किए जाने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जिसके पश्चात उक्त उद्यांग प्राधिकार के लिए नया आवेदन प्ररतुत करेगा ।

 सहमति निम्नलिखित के विनिर्माण कं लिए विधिभान्य है -क्रम सं. उत्पाद अधिकतम दैनिक और वार्षिक मात्रा

3. जल अधिनियम के अधीन शर्ते :

(ii) कारखाने से मल बहिसाय की दैनिक मात्रा......के.एल.डी. से अधिक नहीं होगी

(iii) जल उपमोग की दैनिक मात्रा.....के एल.डी. से अधिक नहीं होगी

(iv) व्ययसाय बहिसाव :

शोधन - आवेदक प्राथमिक/द्वितीयक और/या तृतीयक के अंतर्गत व्यापक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा जो अंतःप्रवाही गुणवत्ता के संदर्भ में आवश्यक हो और उसे नियमित रूप से संचालित करेगा और उस अनुरक्षित करेगा जिससे कि व्ययन से पूर्व निम्नलिखित मानदंखें के अनुसार शोधन बहिःखाव की गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके।

-राण्ड 3(ii)]			
(1) पी.एच.	अगेर	के बीच	
(2) निलंबित ठोस	भि.ग्रा/लि.	से अनधिक	
(3) बी.ओ.डी, 3दिन, 27 ⁰ से.	मि.ग्रा/लि.	से अनधिक	
(4) सी.ओ.डी.	मि ग्रा/लि.	से अनधिक	
(5) तेल और ग्रीस	मि. ग्रा/ लि	सं अनधिक	
(6) टी.डी.एस.	मि.ग्रा/लि	से अनधिक	
(7) अन्य यिनिर्दिष्ट परिमाप			
(v) व्यवसाय बहिसाव व्यय-	क निकास की शर्ते :		
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या	म के स्थलों को उपदर्शित करते हुए प पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा प	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के ⁻	
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच.	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र से संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ानुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता व और	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करंगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदडों के अ पी.एच. निलंबित ठोस	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र से संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ानुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता न और मि.प्रा/लि	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करेगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय से अनधिक	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच.	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र सं संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ननुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता न और 	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करंगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच. निलंबित ठोस बी.ओ.डी, 3दिन, 27 ⁰ सं.	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र सं संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ननुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता न और 	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करेगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय से अनधिक	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच. निलंबित ठोस बी.ओ.डी, 3दिन, 27 ⁰ सं.	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र सं संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ानुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता व और मि.ग्रा/लि मि.ग्रा/लि. तै :	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करेगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय से अनधिक	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच. निलंबित ठोस बी.ओ.डी,3दिन, 27 ⁰ से. (vii) मल व्ययन निकास श	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र सं संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ानुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता व और मि.ग्रा/लि मि.ग्रा/लि. तै :	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करेगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के भीय से अनधिक	रो पूर्व
(vi) मल शोधन - आवेदक व्या हो और उसे नियमित रूप निम्नलिखित मानदंडों के अ पी.एच. निलंबित ठोस बी.ओ.डी, उदिन, 27 ⁰ सं. (vii) मल व्ययन निकास श (viii) अपरिसंकटमय ठोस अप	पक शोधन प्रणाली का प्रबंध करेगा र से संचालित करेगा और उसे अनुरक्षित ानुसार शोधन बहिःखाय की गुणवत्ता न और मि.ग्रा/लि मि.ग्रा/लि. तै :	नो अंत प्रवाही गुणवत्ता के त करेगा जिससे कि व्ययन को प्राप्त किया जा सके : के श्रीच से अनधिक रो अनधिक	रो पूर्व

- 4. आवेदक यथासंशोधित जल (प्रदूषण निवारण तथा निरात्रण) उपकर अधिनियम, 1977, (जिसं उपकर अधिनियम कहा गया है) और तदधीन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा । " उद्योग उपकर अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्ग के अंतर्गत आता है" । निम्नलिखित प्रवर्गों की बाबत जल का दैनिक उपभोग इस प्रकार है :
 - ओद्योगिक शीतलन, खान के गड़्द्रों या बायलरभरण में क्रिडकायके.एल.डी. (i)

		TH	GAZETTE OF	INDIA : EX	TRAORDINAR	Y [Part II-Sec. 3(ii)
(ü)	घरेल्	्रायोजन				कं. एल. डी.
(iii)		करण जिसके द्वा अवक्रमणीय है अं	••	'जाता है औ	र प्रदूषक आसानी	सेयो. एल. डी.
(iv)			रा जल प्रयूषित हो है और विषैले हैं	আমা ষ্ট औ	र प्रदूषक आसानी	सेयो. एल. डी.
(v)	अन्य	जैसे कृषि, बाग	गनी आदि			ये. एल. डी.
(i) 3	गावेदक निग	····	ि : रा की चिमनो/धुंआ मात्रा			गैस उत्सर्जन का वंग
		····	X			रौस जन्मर्जन का वंग
MC 1 11.		- 2	एन.एम3/घेटा		मी	मी/से.
	आदि		and the second			
(ii)	आवेदक च जिसका वि	वरण नीचे दिया	गया है और उसे सार प्रदूषकों का	नियमित रूप	र संचालित औ	तिर्मत निर्यत्रण उपस्कर होगा र अनुरक्षित करेगा जिससे कि

यायू प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक :

· ·		लिखित का पालन करेगा :-	
(vii)			सं अनधिक
(vi)			से अनधिक
(V)		1	से अनधिक
(iv)			री अनधिक
(iii)	एन.ओ. 🗴		से अनधिक
(ii)	एस.ओ.2		सं अनधिक
(i)	एस.पी.एम.	********	सं अनधिक

- (iv) आवेदक चिमनी/धुआरा में ईधन द्वार और वायु उत्सर्जन की गॉनीटरिंग अपेक्षाओं के अनुसार सीढी, प्लेटफार्म आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और वह बार्ड के कर्गसारीवृंद द्वारा निरीक्षण और रुपयांग के लिए खुला रहेगा। उत्सर्जन के विभिन्न खोतों से संलग्न विगनी/धुआरा एस-1, एस 2 आदि जैसे अंको द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी और इनको पहचान सुकर बनाने के लिए पेट/संप्रदर्शित किया जाएगा ।
- (v) उद्योग अपने स्वयं के सोतों से ध्वनि के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय करेगा ताकि यथालागू मानकों का अनुपालन किया जा सके ।

(vi) अन्य शर्ते :

•••••	• • • •	····	••••	••••		··· ··	 	·····	••••			 ••••	· • • •		,	·· .	• • • •	 . <i>.</i>	•••••		 		• • • • •	••••	••••	•••
•••••		••••	• • • •		· · · ·		 	•••••			••••	 ••••	• • • • •	•-•			••••	 	••••		 	· • • • •	· · · ·		· • • • • •	
••••		••••		•••••			 ••••		•••••	••••	••••	 ••••	• • • • •	••••	,		· · · · ·	 ••••	·	····	 •••••		••••			• •

 परिसंकटमरा अपशिष्ट (प्रबंध और ख्यालन) नियमों के अधीन शर्ते : (i) प्राधिकार परिसंकटमय अपशिष्ट के स्थालन/संग्रहण/प्राप्ति/शोधन/पुनःप्रसंस्करण/भंडारण/परिवहन/व्ययन कं लिए सुविधा के प्रचालन के लिए प्रदान किया जाता है । (ii) आवेदक नीचे यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट का स्थालन करेगा :-अपशिष्ट की किस्म क्र सं अपसिष्ट का प्रवर्ग मात्रा <u>रयय न</u> (iii) शोधन : (iv) भंडारण ····· (v) यह प्राधिकार परिसंकटमय या पुनःप्रसंश्करणीय अपशिष्ट के किसी आयात को अनुझाल नहीं करता है जबतक कि बोर्ड/समिति से पृथक अनुज्ञ। अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती है । खतः मानीटरिंग कार्यक्रम : 7. अपशिष्ट/निक्षालितक बहिःस्राव/उत्सर्जन/परिराकटमय आवेषक शांधित रफं नमुनो का एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी./सी.पी.सी.बी/एम.ओ.ई.एफ., नई दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में कम से कममे एक बारे विश्लेषण करवाएगा और जां नियत सीमाओं के अनुरूप होगा । परीक्षण रिपोर्ट राज्य प्रदूषण निरांत्रण बोर्ड/समिति को भेजी जाएगी । [विश्लेषण आवृत्ति जैसा बोर्ड/समिति विनिर्दिष्ट करं विभिन्न खोतो के लिए मिन्न मिन्न होगी]। 8, आवेदक यथा नियत अतिरिवत शर्तों का पालन करेगा । (...) सदस्य सचिय (जब सहमति जारी करने वाला प्राधिकारी सदस्य संघिव, सं भिन्न हो – ता बताईए) -नाम * पद • कार्यालय का पता • र्सवा में, आवेदक प्रति : 1. 2. З. 4

<u>अनुसूची - 6</u> [नियम 8 देखिए] प्राधिकार की स्कीम

प्राधिकार निम्नलिखित रूप में होगा :-

प्रवर्ग	उप-प्रादेशिक अधिकारी	प्रादेशिक अधिकारी	सदस्य सचिव	अध्यक्ष*
क. उद्योग				
सरलीकृत सहमति	सभी	-	~	-
'लाल' प्रवर्ग	कुछ नहीं	ক্রুন্ড নর্চী	15 करोड़ रू0 तक पूंजी विनिधान के साथ परियोजना	
'नारंगी' प्रवर्ग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100 करोड़ रू0 तक पूंजी विनिधान के साथ परियोजना	
'हरा' प्रवर्ग	3 करोड़ क्त0 तक पूंजी विनिधान के साथ परियोजना		10 करोड़ रू0 से 500 करोड़ रू0 तक पूंजी विनिधान के साथ परियोजना	500 करोड़ रुठ से अधिक पूंजी विनिधान के साथ परियोजना
ख.स्थानीय निकाय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	'ग' वर्ग नगरपालिका परिषदें	क और ख नगरपालिका परिषदें, निगम

* यदि वह अंशकालिक अध्यक्ष है तो वह नीचे दी गई संरचना क्रे अनुसार बोर्ड द्वारा स्थापित की जानेवाली पांच सदस्यीय तकनीकी समिति से सहायता लेगा/लेगी :

(i) शैक्षणिक संख्था से विशेषज्ञ (2)

(ii) औद्योगिक सहयोजन जैसे सीआईआई, एफआईसीसीआई, एसोचैम आदि से प्रतिनिधि/नामनिर्देशिती

(iii) स्वैच्छिक संगठन से प्रतिनिधि/नामनिर्देर्शिती

(iv) सदस्य सचिव

टिप्पण : इसमें दृष्टांत के रूप में दी गई प्राधिकार की स्कीम केवल मार्गदर्शन के लिए है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां स्कीम अंगीकृत कर सकेगी जैसी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो ।

							अनुस्			-\							
			-10	रम	।) ते प्रबंध		म 11 के जि				रा राजी	7					
प्रदूषण नियंत्रण	बोर्ड			יריס	त अषय	70	10 ICI	5 01	-	чл	SICIRI						
शीट भरने के																	
1) कृपया शी			ढ्ने योग्र	। ले	ख में भ	रिं											
2) सही विक																	
3) सभी तारी						ا ۲	ļ										
4) तारक चि	দ্ৰ (*)	की म	दें कोड	और	विवरण	सू	ची में	हें अ	गैर उ	जन्हें त	तदनुसा	र भरा	তানা	चाहि	দ ।		
उद्योग कोड						(एए	सआ	ई के	अनुष	तार)							
उद्योग का नाग																	
सम्पर्ककर्ता क	<u>नाम औ</u>	र पदन	11म					<u> </u>									
1	<u>_</u>	<u> </u>											2	<u> </u>			
कार्यालय का ।	<u>ता</u>																_
					<u> </u>												
कारखाने का प	ता																
नगर		<u> </u>	*जिला		т—			 *ਹ	ज्य		T		Tr	पेनक			
					1		 _				_	. <u>–</u>	'				
*जोन		T						िस्त	ती/टेत	तराज्य			<u> </u>		<u> </u>	··	
			<u> </u>					<u> </u>									
*उद्योग का प्र	<u></u>	·			<u> </u>												
		<u> </u>															
लि म	·	बृ		कै	प	Т	स्कैप		7	• छन्	नहीं	लाल		ना	 रंगी	हर	· · ·]
		1-		1		╉	2					लाल		नाः	रंगी	हर	
L			<u> </u>	L				·	_ •					I		_1	
*उपकर			जल	की		3	1		अ 2	2	ए सर	डबल्यू 1	(अ	3)	एसड	बल्यू2	(अ 4)
प्रवर्ग	1		श्रेर्ण	t		1		-	2		3	<u> </u>			4		<u> </u>
L <u></u>			I			1. <u>.</u>			-		•			<u>_</u>			
रजि0 सं0	रस्थापि	त कर	ने की त	रिख	a			Π		3	ाना. प्र	ाप्त कि	या			हाँ	नहीं
						_											
पारियों की संC		चालू	बैच		र	त व	1	सी		Ţ	कुल व	र्मकार			निवासी	कर्मव	সম
	<u> </u>		 .	-					_								<u> </u>
प्रचालन अवधि		से		क))						<u>.</u>						
विनिधान सूचन	r								<u>.</u>						,		
संयंत्र और मर्श	निरी		তল प्रदू	षण	नियत्रप	Л		वा	षक	विनि	धान		<u>م</u>	ाषिय	ज्ञावर्त		
	<u> </u>	<u></u>	4	r	हाँ		 -	Г <u></u> -		<u> </u>			<u> </u>	<u>.</u>	-1 - 4		<u></u>
क्या स्थल निर्णि यदि स्वीकृति य			5		61	नह	jl] क्य	પય			<u> </u>	पाक्षत	6	सँ	<u>]</u> ना	51
याद स्वाकृति व मौजूदा के लिए			राज्य	Τ-	<u>क</u> ेन्द्रीय	<u>т</u>	विस्त	ज के	Êr	 r	हाँ		<u></u>	राज		केन्द्र	
1 1 1 2 4 4 100		<u> </u>	1 404	Ľ	17.21.4		1470	13 47	1015		<u>1°'</u>	7	01		ч 	<u> </u>	14

उत्पाद के ब्यौरे

कोड	विवरण	परिमाण	एकक
·			
		·	
··			
		··	
			+··
			+
			·

कच्ची सामग्रियों के ब्यौरे

कोड	विवरण	परिमाण	एकक
		·	
			·
			···
			·
L.,, <u>l</u> .,			

साधा, उपकर

वायु/जल सम्मति आदेश सं.....

	मानक	मानक	मानक
बीओडी मिली	सीओडी मित	ती टीएसएस मिली	
ग्राम/प्रति लिटर	ग्राम/प्रति लिटर	ग्राम/प्रति लिटर	
ओआईएल मिली	पीएच अपर	पीएचलोवर	
ग्राम/प्रति लिटर			
जेडएन मिली	सीआर मित	ती एनआई मिली	
ग्राम/प्रति लिटर	ग्राम/प्रति लिटर	ग्राम/प्रति लिटर	
एचजी मिली			
ग्राम/प्रति लिटर			

बाहि : साव्र बहाव : जल/मल -- के एल डी व्यावसायिक बहि : स्राव -- के एल डी से

(टिप्पण : विवरण लिपि 12 से अधिक न हो, और मूल्य सीमा 99.99 से अधिक न हों)

<u> </u>							
क्या सम्मिलित बहिःस्राव घ	रिलू और औद्योगिक. है।				हाँ/नहीं		
उत्पादित कुल बष्टिःस्राव							
शोधित अपशिष्ट जल							
शोधित बहिःस्राव के व्ययन	का ढंग	······					<u> </u>
जल प्रदूषण के नियंत्रण के	लिए व्यय						
बहिःस्राय के शोधन की वा	र्षिक प्रचालन और अनुर	क्षण लाग	ात			· · ·	
					•		
ईटीपी के प्रकार	संस्थापन की तारीख	T		चालू होने	की तारीख		
	h	<u> </u>					
ईटीपी का संपादन करना	पर्याप्त/अ	अपर्याप्त	• •	पर्याप्स		अपर्याप्त	
कार्यान्वयन अनुसूची : –				<u></u>			<u></u>
विद्युत मीटर का प्रबंध किर	गगया हाँ न	नहीं	कार्यान्वि	त किया गया	हाँ		नहीं

		'
शीतलन अपशिष्ट	घरेलू (सीयूएम/दिन)	घरेलू (सीयूएम/दिन)

चेक/ड्राफ्ट नं०	रकम		तारी	ख			
जल							
जल सहमति सं0	नई/नवीकरण	नई	नवीकरण	स्वीकृत/अ	स्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत
सहमति की तारीख			नवीकरण की	तारीख			

पैरामीटर 1		
पैरामीटर 2		
पैरामीटर 3		
पैरामीटर 4		
पैरामीटर 5		
जल उपभोग		

प्रसंस्करण

विवरण

I

टिप्पण : विवरण लिपि 12 से अधिक न हो और परिणाम मूल्य 99.99 से अधिक न हो)

I

घरेलू

		विवरण	सीमाएँ
पैरामीटर 1			
पैरामीटर 2			
पैरामीटर 3			
पैरामीटर 4			
पैरामीटर 5			
भारित किया गया	हां	नहीं	

शीतलन

संदाय के व्योर

परिणाम

विषैली

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

.

	उद्योग द्वारा	बोर्ड द्वारा
नमूना लेने की आवृत्ति की सं0/वर्ष		
अंतिम नमूना निरीक्षण की तारीख		

आर ओ/ एस आर ओ/ एफ ओ का नाम :

विवरण दें कि क्या औद्योगिक बहि: स्नाव निम्नसिखित वाला है

बिषैली	हा	नहीं	र्गध	हां	नहीं
उत्तेजक या हानिप्रद	हा	नहीं	संक्षारक	हां	नहीं
रंग	हो	नहीं			

प्रयोगशाला सुविधा: हां/नहीं

ठोस अपशिष्ट का प्रकार और परिमाण		
		

	शोधन की पद्धति	य्ययन की पद्धति
ठोस अपशिष्ट		

जल उपकर	पूर्ववर्ती	वर्तमान	
धरेलू (के एल डी)			
औद्योगिक (के एल डी)			
प्रशीतन			
प्रसंस्करण			
जैव अवक्रमणीय			
अजैव अवक्रमणीय			
कृषि			
कुल उपभोग			

वायु

वायु सहमति सं0	नई/नवीकरण	नई	नवीकरण	रयीकृत/अस्वीकृत	त	रवीकृत	अस्वीकृत
			<u> </u>		. <u>. </u>		
सहमति की तारीख			नवाकरण	की तारीख			
वायु प्रदूषण नियंत्रण	के प्रकार :						
कोड	संस्थापन की त	।।रीख		प्राप्ति की	तारीख		
कार्यान्वयन कार्यक्रम	7		कार्यान्वित वि	केया गया		हाँ	नहीं

* क्षेत्र का वर्गीकरण :-----

पैरामीटर	नमूने का परिणाम	(चिमनी	स्तरमान	(चिमनी
	उत्सर्जन/एएक्यूएम)		उत्सर्जन/एएक्यूएम)	
एसओ₂				
एनओ _x				
टीएसपी		···	<u></u>	

क्रम सं०	नियंत्रण उपस्कर का नाम	लागत	अनुरक्षण और प्रचालन

••••••••••••••••••••••		,		,				
तापमान	गैस का	वेग	एसओ2	सीओ	एनओ	एसपीएम	भिन्न कण	अन्य
	परिमाण						संघटित	

तापमान गैस	का विग	एसओ2	सीओ	एनओ	एसपीएम	भिन्न कण	अन्य

प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	[
* ईधन का कोड	ईंधन का नाम	प्रयुक्त ईधन के लिए	ईधन का परिमाण	राख %

		छत की ऊंचाई (मीटर)	भूमि तल की ऊंचाई (मीटर)
चिमनी की ऊँचाई			
चिमनी की चोटी	वृत्तीय	वृत्ताकार	भीतरी व्यास की दशा में (मीटर)

चिमनी सं0	निर्माण सामग्री	से संलग्न		
1.				
2.	· · · · ·			
3.				
4.				
5.				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····	·······

इनके ब्यौरे दें)

वायुवाहित चिमनी														
(टिप्पण: यदि वहौँ प	र ভী জী দ	सैट के	साथ	चिमनी	5 र	। अधिक	हैं तो	कृपया	एक	पृथक	शीट	संलग्न	करें	जिसमें

नहीं

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यय	
वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण लागत	

हाँ

वायु प्रदूषण नियंत्रण	संस्था	प्रति	 पूरा होने की तारीख]
उपरकर संस्थापन/प्रतिस्थापन करना				

	उद्योग द्वारा	बोर्ड द्वारा
नमूना लेने की आवृत्ति की सं0/वर्ष		
अंतिम नमूना की तारीख/निरीक्षण		

प्रयोगशाला सुविधा

परिसंकटमय अपशिष्ट							
आवेदन का कोड		आवेदन की त	ारीख				
प्राधिकार किस लि	ए						
संग्रहण	ग्रहण	परिवहन	शोधन	भंडारण	व्ययन		
परिसंकटमय सामग	ग्री का उत्पादन	(हाँ/नहीं)					
प्रवर्ग		प्रकार		परिमाण			
			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
कुल पूंजी विनिधान			प्रारंभ का वर्ष	Ť			
चुनिंदा सामग्री के	व्ययन का तरीव	 ात					
*प्रवर्ग		प्रकार		व्ययन			
प्रवर्गों के लिए संघ	ाटक						
संघटक		प्रकार		सीमा			
ठोस अपशिष्ट (
ंउत्पादन की कुल	मात्रा (केवल	ा मीट्रिक टन में)					
व्ययन की पद्धति							
· ·				_			

भंडारण की रीति:

.

	परिसंकटमय	गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट
1.		
2.		
3.		
4.		

नाम :-----

हस्ताक्षर : ------

अनुसूची - 8

[नियम 3(2) और नियम 12 देखिए]

सहमति प्रबंधन के लिए उद्योगों का वर्गीकरण

[लाल, नारंगी और हरे प्रवर्ग]

- 1. 'लाल' प्रवर्ग के अधीन उद्योगों की सूची : 👳
- अ. भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली के रूप में पहचाने गए और केन्द्रीय कार्रवाई योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योग, अर्थात :
- (1) आसवनी जिसमें किण्वन उद्योग भी सम्मिलित हैं ।
- (2) चीनी (खांडसारी को छोड़कर)
- (3) उर्वरक
- (4) लुगदी और कागज (लुगदी से या बगैर लुगदी के कागज का विनिर्माण)
- (5) क्लोर अल्कली
- (6) भेषजी (बुनियादी)(विनिर्मिती को छोड़कर)
- (7) रंजक और रंजक मध्यवर्ती
- (8) नाशक जीवमार (तकनीकी) (विनिर्मिती को छोड़कर)
- (9) तेल परिष्करणी (खनिज तेल या पैट्रो परिष्करणियां)
- (10) चर्मशोधनशाला
- (11) पैट्रो रसायन (उनका विनिर्माण और न कि उनका केवल कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग)
- (12) सीमेन्ट
- (13) तापीय विद्युत संयंत्र
- (14) लोहा और इरपात (जिसमें अयरक/स्कैप/समाकलित इस्पात संयंत्रों से प्रसंस्करण अंतर्वलित है)
- (15) जिंक प्रगालक
- (16) तांबा प्रगालक
- (17) एल्यूमिनियम प्रगालक
- आ. निम्नलिखित उत्पादों का विनिर्माण करनेवाले और निम्नलिखित क्रियाकलापों में लगे उद्योग :-
- (1) टायरों और ट्यूबों की वल्कनाइजेशन/रीट्रीडिंग/मोल्डिंग
- (2) संश्लिष्ट रबड़
- (3) कांच और फाइबर कांच का उत्पादन और प्रसंस्करण
- (4) औद्योगिक कार्बन जिसमें इलैक्ट्रोड और ग्रेफाइट ब्लाक्स, सक्रियित कार्बन, कार्बन ब्लैक इत्यादि भी सम्मिलित हैं।
- (5) पेंट और वार्निश (सम्मिश्रण करने/मिश्रण करने को छोड़कर)
- (6) रंजक और मध्यवर्ती
- (7) संश्लिष्ट रेजिन्स
- (8) पैट्रोलियम उत्पाद जिसमें भंडारण, हरतांतरण या प्रसंस्करण भी अंतर्वलित है |
- (9) रनेहक तेल, ग्रीस या पेट्रोलियम आधारित उत्पाद
- (10) संश्लिष्ट रेशे जिसमें रेयान, टायर, कार्ड, पोलीस्टर फिलामेंट सूत सम्मिलित है ।
- (11) शल्य और चिकित्सीय उत्पाद जिनमें प्रोफिलेक्टिक और खड़क्षीर भी अंतर्वलित है ।
- (12) संश्लिष्ट अपमार्जक और साबून
- (13) फोटोग्राफिक फिल्में और रसायन
- (14) रसायन, पेट्रोरसायन और इलैकट्रोरसायन जिनमें अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फारफोरिक अम्ल इत्यादि का विनिर्माण भी सम्मिलित है ।
- (15) औद्योगिक या अकार्बनिक गैसें
- (16) क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और परआक्साइड
- (17) सरेस और जेलेटिन
- (18) सूत और कपड़ा प्रसंस्करण जिसमें अभिमार्जन, विरंजन, रंगाई, मुद्रण या कोई बहिःस्राव/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया भी अंतर्वलित है ।
- (19) वनस्पति तेल जिसमें विलायक द्वारा निष्कर्षित तेल, जल द्वारा उत्पादित तेल भी सम्मिलित है ।

- (20) ऐसा कोई उद्योग या प्रक्रिया जिसमें धातु शोधन या पिर्किंग, सतष्ठ विलेपन, पेंट बेकिंग, स्ट्रिपिंग, ताप उपचार, फास्फेटिंग अथवा फिनिशिंग इत्यादि जैसी प्रक्रिया अंतर्वलित है ।
- (21) इलैक्ट्रोप्लेटिंग संक्रियाएं अंतर्वलित करने वाला उद्योग या प्रक्रिया ।
- (22) एस्बेस्टस या एस्बेस्टस आधारित उद्योग
- (23) वंधशाला और मांस का प्रसंस्करण करने वाले एकक
- (24) किण्वन उद्योग जिनमें यीस्ट, बीयर इत्यादि का विनिर्माण मी सम्मिलित है ।
- (25) इस्पात और इस्पात उत्पाद जिनमें ऐसे कोक संयंत्र भी सम्मिलित हैं, जो उपस्करों जैसे ब्लास्ट भ्राष्ट, खुला चूल्हा भ्राष्ट, प्रेरण भ्राष्ट या आर्क भ्राष्ट इत्यादि में से किसी का उपयोग अथवा संक्रियाओं या प्रक्रियाओं जैसे ताप उपचार, अम्ल अम्लौपचारी, बेल्लन या जस्तकारी इत्यादि में से किसी का उपयोग अंतर्वलित करते हैं।
- (26) भरमीकरण संयंत्र
- (27) शक्ति उत्पादन करने वाले संयंत्र (डी.जी.सेटों को छोड़कर)
- (28) चूने का विनिर्माण
- (29) तंबांकू उत्पाद जिसमें सिगरेट और तंबाकू प्रसंस्करण भी सम्मिलित हैं ।
- (30) शुष्क कोयला प्रसंस्करण/खनिज प्रसंस्करण उद्योग जैसे अयस्क सिमरिंग, प्रपद्विकरण इत्यादि
- (31) फास्फेट पत्थर प्रसंस्करण संयंत्र
- (32) कोक बनाना, कोयले का द्रवीकरण, कोलतार का आसवन या ईंधन गैस बनाना
- (33) फास्फोरस और उसके सम्मिश्रण
- (34) विस्फोटक जिनके अंतर्गत विस्फोटक प्रेरक, फ्यूज इत्यादि भी हैं
- (35) पटाखे
- (36) क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बनों को अंतर्वलित करनेवाली कोई प्रक्रिया
- (37) क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उनके सम्मिश्रण
- (38) हाइड्रोरसायनिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न
- (39) दुग्ध प्रसंस्करण करने वाली और डेयरी उत्पाद (एकीकृत परियोजना)
- (40) ढलाई संक्रियाएं अंतर्वलित करने वाले उद्योग या प्रक्रियाएं
- (41) अल्कोहल के आसवन और मिश्रण द्वारा पेय अल्कोहल (आईएमएफएल)
- (42) एनोडाइर्जिंग
- (43) चीनी मिट्टी/उच्चताप सहने वाले
- (44) सीसा प्रसंस्करण और बैटरी पुनःअनुकूलन तथा विनिर्माण जिसके अंतर्गत सीसा प्रगालन भी है ।
- (45) तप्त-मिश्रण संयंत्र
- (46) अस्पताल
- (47) खनन और अयस्क बेनीफिशिएशन
- 2. 'नारंगी' प्रवर्ग के अधीन उद्योगों की सूची
- (1) शीट ग्लास से दर्पण का विनिर्माण और फोटोफ्रेम समंजन ।
- (2) कपास की कताई और बुनाई
- (3) आटोमोबाईल की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए अवस्थान
- (4) होटल और रेस्टोरेन्ट
- (5) आटा मिलें (घरेलू आटा चक्की को छोड़कर)
- (6) माल्ट मिश्रित खाद्य
- (7) खाद्य जिनके अंतर्गत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण भी है।
- (8) कॉफी के बीजों की लुगदी बनाना और किण्वन
- (9) तात्क्षणिक चाय/कॉफी, कॉफी प्रसंस्करण
- (10) अल्कोहल इतर सुपेय (मृदुपेय)
- (11) सुगंधियां और औद्योगिक इत्र
- (12) खाद्य योज्यक, पोषक और सुरूचिकारक
- (13) मत्स्य प्रसंस्करण
- (14) कार्बनिक पोषक
- (15) शल्य और चिकित्सीय उत्पाद जो बहिःस्राय/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएं अंतर्यलित नहीं करते ।
- (16) प्रयोगशाला सामग्री

- (17) तार खींचना (ठंडी प्रक्रिया) और बेलिंग स्ट्रैप
- (18) पत्थर संदलित्र
- (19) प्रयोगशाला रसायन जो आसवन, शुद्धिकरण प्रक्रिया अंतर्वलित करते हैं ।
- (20) टायर और ट्यूब वल्कनीकरण, वल्कनीकरण रीट्रीडिंग मोल्डिंग
- (21) नाशकजीवमार/कीटनाशी/कवकनाशी/शाकनाशी/कृषि रसायन विनिर्मिती
- (22) एनपीके उर्वरक/कणिकाकरण
- (23) भेषजी विनिर्मिती
- (24) खांडसारी चीनी
- (25) सांक्षोवन एकक
- 'हरा' प्रवर्ग के अधीन उद्योगों की सूची ।
- क. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की अधिसूचना के अधीन यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से सरलीकृत एनओसी/सहमति जारी कराने के लिए, सुझाए गए लघु, काटेज/ग्रामीण प्रवर्ग के उद्योग ।
- ख. ऐसे सभी उद्योग/प्रक्रियाएं जो ''लाल'' और/या ''नारंगी'' प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आती, दृष्टांत स्वरूप एक सूची नीचे दी गई है ।
- (1) प्रयुक्त रेत का चल जलीय विसर्जन द्वारा अपशिष्टीकरण
- (2) आटा चक्किया
- (3) चावल मलर्स
- (4) अनाज का अवमज्जन और प्रसंस्करण
- (5) खनिजीकृत जल
- (6) दाल मिलें
- (7) बेकरी उत्पाद, बिस्कुट कनफेक्सनरी
- (8) मूंगफली छिलना (शुष्क)
- (9) सुपारी (बीटलनट) और मसाला पीसना
- (10) द्रुतशीतलन संयंत्र और शीतसंग्रहागार
- (11) आइसक्रीम या बर्फ बनाना
- (12) टेलरिंग या वस्त्र बनाना
- (13) सूती और ऊनी हौजरी
- (14) परिधान बनाना
- (15) हण्डलूम बुनाई
- (16) जूतों के फीतों का विनिर्माण
- (17) सोने और चांदी के तार की जरी का काम
- (18) स्वर्णकारी और चांदीकारी
- (19) चमड़े के जूते आदि और चर्म उत्पाद, चर्मशोधन और हाइड प्रसंस्करण को छोड़कर
- (20) संगीत वाद्यों का विनिर्माण
- (21) खेल का सामान
- (22) बांस और गन्ना उत्पाद (केवल शुष्क संक्रियाएं)
- (23) कार्डबोर्ड या नालीदार डिब्बा और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर)
- (24) विद्युतरोधन और अन्य विलेपित कागज (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर)
- (25) वैज्ञानिक और गणितीय यंत्र
- (26) फर्नीचर (लकड़ी का और स्टील का)
- (27) घरेलू इलैक्ट्रीकल साधित्रों का समंजन
- (28) रेडियों समंजन
- (29) फाउन्टेन पेन
- (30) बहिर्वधन मोल्डिंग द्वारा पोलीथीन, प्लास्टिकं और पीवीसी सामान की प्राप्ति
- (31) रस्सी (सूत की और प्लास्टिक की).
- (32) गलीचा बुनाई
- (33) एअर कूलर, वातानूकलकों का समेजन

- (34) बाइ-सायकिलों, शिशु गाड़ी और अन्य छोटे मोटर रहित यानों का समजन
- (35) इलैक्ट्रानिक उपस्कर (समंजन)
- (36) 'खिलौने
- (37) जलमृदुकरण और अखनिजीकृत संयंत्र
- (38) पेंट (केवल मिश्रण प्रक्रिया द्वारा)
- (39) मोमबत्तियां
- (40) बढ़ईगीरी (आरा मिल को छोड़कर)
- (41) तेल ओटाई/निष्कासन (हाइड्रोजनीकरण/परिष्करण नहीं)
- (42) जॉबिंग/मशीनिंग
- (43) स्टील ट्रंकों और सूटकेसों का विनर्माण
- (44) पेपर पिन और यू क्लिप
- (45) मुद्रण के लिए ब्लाक बनाना
- (46) आप्टिकल फ्रेम
- (47) पावरलूम/हैण्डलूम (रंजन और विरंजन के अलावा)
- (48) मुद्रणालय
- (49) वस्त्रों की सिलाई, टेलरिंग
- (50) थर्मामीटर बनाना
- (51) फुटवेयर (रबड़)
- (52) प्लास्टिक प्रसंस्कृत सामान
- (53) चिकित्सीय और सर्जरी उपकरण
- (54) इलैक्ट्रानिक और बिजली का सामान
- (55) रबड़ सामान उद्योग ।
- टिप्पण : ऐसे उद्योगों के जो उपरिवर्णित तीनों प्रवर्गों (अर्थात लाल/नारंगी/हरा) के अन्तर्गत आते, वर्गीकरण के सबंध में निर्णय मुख्यालय स्तर पर, बोर्ड/समिति के सदस्य सचिव और दो वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति द्वारा किया जाएगा ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 1999

S.O. 1253 (E).— Whereas in pursuance of the decision of the Forty Sixth Conference of the Chairmen and Member Secretaries of State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs) held at New Delhi on July 14, 1998, the Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB) set up a Committee to formulate proposals regarding uniform consent procedure to be followed by SPCBs and the PCCs;

Whereas the Central Government and the CPCB considered the report submitted by the said Committee and is of the view that a uniform consent procedure to be followed by all SPCBs and PCCs is required to be formulated, as recommended by the said Committee regarding rationalisation of consent procedure; Now, the following draft rules to provide for uniform consent procedure to be followed by the SPCBs and the PCCs, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) are hereby published, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which, copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for the consideration of the Central Government within the periods so specified to the Secretary, Ministry of Environment & Forests, Control of Pollution Division, Room No. 601, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi • 110 003.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention and Control of Pollution (Uniform Consent Procedure) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Central Board" means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974):

(b) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(c) "State Board" and "Committee" means State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in case of Union Territories constituted under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974). 3 (1) The State Board or the Committee, as the case may be, shall grant consent to industries in accordance with the provisions of these rules.

(2) This uniform consent procedure shall apply to industries specified in Schedule - VIII.

4. Application for consent. - (1) Every application for consent shall be made in the format given in Schedule - I and shall be accompanied by fees specified in Schedule - II.

(2) The application for consent and authorisation shall be made at a time.

(3) No authorisation shall be required in respect of industries which are not generating hazardous waste in the specified category and a statement to the effect that they are not generating hazardous waste in such category shall be sufficient for consideration of application for authorisation.

(4) On receipt of application, the State Board or the Committee, as the case may be, may grant consent(s) or authorisation on co-terminus basis and depending upon the workload and convenience, different terminal dates may be granted.

5. Consent Processing. - (1) The application for consent shall be processed by an officer below the rank of the officer empowered to grant consent or authorisation.

(2) The application for consent shall be processed within thirty days of submission of application to the officer empowered to grant consent or authorisation.

(3) The period in respect of disposal of application for 'consent to establish' shall be sixty days.

(4) The officer processing the application for consent shall make report on such processing to the officer empowered to grant consent or authorisation in the format given in Schedule - III.

6. Frequency of inspection, sampling and schedule of monitoring. - (1) The officers of the State Board or the Committee may chalk out the programme of inspection or sampling by their staff in such a manner that all the units are covered for vigilance and monitoring purposes.

(2) The charges for collection of sample and its analysis shall be recovered from the concerned units as may be approved by the Board or Committee.

(3) The State Board or the Committee, as the case may be, shall follow the minimal frequency of visit for the purpose of inspection and sampling as given in Schedule - IV.

(4) The consent order shall specify the schedule of monitoring the effluent and/or emission, as the case may be.

(5) The industries shall build up their own capabilities to carryout monitoring of effluent and/or emission, as the case may be.

(6) In case of small units, services of laboratories recognised by (a) Central Government

in the Minsitry of Environment and Forests, or (b) the Central Pollution Control Board, or (c) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall be utilised for submission of monitoring reports to the Board or the Committee.

(7) The State Board or the Committee, as the case may be, shall assess the capabilities of laboratories regularly through a programme of Analytical Quality Control (AQC) exercise in collaboration with the Central Pollution Control Board.

(8) The State Board or the Committee, as the case may be, shall decide stipulation of conditions regarding installation of continuous monitoring system for point source emission and ambient air, water, noise etc., for large units in accordance with the local conditions and requirements.

(9)The State Industrial Development Corporations shall provide facilities for collection and disposal of treated effluent and for regular monitoring of ambient air, noise and water (including ground water) in their industrial estates as part of infrastructure.

(10) The State Board or the Committee, as the case may be, may suggest suitable location(s), parameters and frequency of monitoring.

7. Issue of consent order. (1) The State Board or the Committee, as the case may be, may issue the consent order for the period specified against each of the following category of industries :-

I.	Red category of industries	:	two years
II.	Orange category of industries	:	three years
III.	Green category of industries	:	five years

(3) The State Board or the Committee, as the case may be, may stipulate additional conditions, if any, in the appendix to the consent or authorsation order.

8. Authorisation. The State Board or the Committee, as the case may be, shall with an objective of bringing in more transparency as well as expeditious clearing of the authorisation and consents, authorise officers specified in Schedule VI to exercise the powers to grant consent or authorisation in respect of industries stated therein.

9. Restrictions to form part of consent application. -

The Central Government, State Government, State Board or the Committee shall provide information regarding restrictions notified for certain areas and the river basins for regulation of siting of industries and undertaking developmental projects alongwith the consent application for the information of the prospective entrepreneur.

10. Simplified consent for non-polluting industries. - (1) The State Board or the Committee shall in consultation with the State Government or the Union Territory Administration, prepare a list of non-polluting industries in the category of small, cottage or tiny industries for grant of simplified consent.

(2) The industries falling under sub-rule (1) of non-polluting type units, may be issued consent order for a period of ten years.

11. Industry data sheet. - (1) The State Board or the Committee and their field offices shall use industry's data sheet for consent management in the format given in Schedule - VII.

(2) The Central Board may revise or review the format to sort out the difficulties, if any, during the process of computerisation.

12. Categorisation of industries. -

The categorisation of industries shall be made into Red, Orange and Green categories as given in Schedule - VIII for the purposes of consent management.

> [F. No. Q-15015/129/90-CPW] K. ROY PAUL, Addl. Secy.

<u> SCHEDULE – I</u>

[see rule 4] Common Application for Consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981) and Authorisation under Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989

No.

Accompanying form in triplicate to be submitted by the applicant. One copy may be retained by the applicant

Explanatory note for filling in application form for Consent / Authorisation

- (1) Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining to any of the items of the application shall be liable for punishment as per provisions under the relevant Act.
- (2) The application form shall be submitted at the head-quarter office of the Board at the address given on the first page of the application form or to the respective Zonal or Regional or Sub-Regional office or District Office of the Board/Pollution Control Committee under whose jurisdiction the applicants activity falls.
- (3) The application shall be accompanied by the consent fee in the form of Demand Draft in favour of State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.
- (4) For the items marked *, strike out which is not relevant.
- (5) If any of the items is not relevant to the activity of the applicant, please state 'Not Applicable'.
- (6) If the space for reply provided for any item is inadequate, use additional sheets, duly referenced.
- (7) Item 1: Give the name of the person who is authorised by the applicant to transact their business.
- (8) Item 2: Also state the concerned institutions under whose administrative area the unit falls.
- (9) The form shall be accompanied by the relevant documents specified on the last page of the application form.
- (10) Capital Investment Consent fee is to be paid based on gross fixed capital investment of the unit without depreciation till the date of application. The gross capital investment shall include cost of land, building, plant and machinery without depreciation.

Application form for Consent/Authroisation

From:.....

То

The Pollution Control Board

Sir,

I/We hereby apply for *

- (i) Consent to Establish/Operate/Renewal of consent under section 25 and 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended.
- (ii) Consent to establish/operate/renewal of consent under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended.
- (iii) Authorisation/renewal of authorisation under rule 5 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989, as amended in connection with my/our existing/proposed/altered/additional manufacturing/processing activity from the premises as per the details given below.

Part A: General

- Name, designation, office address with telephone and fax number of the applicant/ occupier/Industry/Institution/Local Body.
- (a) Name and location of the industrial unit/premises for which the application is made. (Give revenue Survey Number/plot number, name of Taluka and District, also telephone and fax number)
 - (b) Details of the planning permission obtained from the local body/Town and Country Planning authority/ metropolitan development authority.

÷

:

÷

:

:

:

:

:

:

- (c) Name of the local body under whose jurisdiction the unit is located and name of the licence issuing authority.
- 3. Names, addresses with telephone and fax number of Managing Director/Managing Partner and officer responsible for matters connected with pollution control and/or hazardous waste disposal.
- 4. (a) Are you registered as a small-scale industrial unit ?
 - (b) If yes, give the number and date of registration.
- 5. Gross capital investment of the unit without depreciation till the date of application (Cost of building, land, plant and machinery).

(To be supported by an affidavit, Annual Report or certificate from a Chartered Accountant. For proposed unit(s), give estimated figure)

- If the site is located near sea-shore/river bank/other water bodies; indicate the distance and the name of the water body, if any.
- Does the location satisfy the requirements under relevant Central/State Govt. notifications such as Coastal Regulation Zone, Notification on Ecologically Fragile Area, Industrial location policy, etc. If so, give details.
- 8. If the site is situated in notified industrial estate,
 - (a) whether effluent collection, treatment and disposal system has been provided by the authority
 - (b) will the applicant utilise the system, if provided
 - (c) if not provided, details of proposed arrangement.

9.	Total plot area, built-up area and area available for the use of treated sewage/trade effluent	:
10.	Month and year of proposed commissioning of the unit	:
11.	Number of workers and office staff.	:
12.	(a) Do you have a residential colony within the premises in respect of which the present application is made?	:
	 (b) If yes, please state population staying. (c) Indicate its location and distance with reference to plant site. 	:
13.	List of products and by-products manufactured in tonnes/month, kl/month or numbers/month (Give figure corresponding to maximum installed production capacity)	:
14.	List of raw materials and process chemicals with annual consumption corresponding to above stated production figures, in tonnes month or kl/month or numbers/month.	5/ :
15.	Description of process of manufacture for each of the products showing input, output, quality and quantity of solid, liquid and gaseous wastes, if any from each unit process. (To be supported by flow sheet and/or material balance).	:
Part	t B: Waste water aspects	
16.	 Water consumption for different uses (m³/da (i) Industrial cooling, spraying - in mine pits or boiler feeds (ii) Domestic purpose - (iii) Processing whereby water - gets polluted and the pollutants are easily bio- 	у)
	degradable and are toxic (iv) Processing whereby water gets polluted and the pollutants are not easily bio-degradable and are toxic -	

<u>38</u>

	- 61/6		का राजनत	· <u>viei</u>	MIX 1		_
	(v)	Others such as agriculture, gardening etc. (specify)					
	~		Total		:	•••••••	•
17.		e of water supply.					
		of authority granting permissio	n				
	if app	plicable and quantity permitted		:			
18.	Quan (m³/o	tity of waste water (effluent) ge lay)	nerated				
	(i)	Domestic		:			
	(ii)	Industrial		:			
19.	Wate	r budget calculations accounting					
	for d	ifference between water consum	ption				
	and e	effluent generated.	•	:			
		3					
20.	Prese	nt treatment of sewage/canteen					
		ent (Give sizes/capacities of					
		ment units).					
		mene anacoj.		•			
21.	Prese	nt treatment of trade effluent				,	
L, A,		sizes/capacities of treatment u	nits)	•			
	•	hematic diagram of the treatment	•	·			
		ne with inlet/outlet characterist				,	
		ch unit operation/process is to l	Je				
	-	ded. Include details of residue					
	IlldIld	agement system (sludges))					
22	(-)	Are sounds and trade offluents					
22.	(a)	Are sewage and trade effluents					
	(L)	mixed together?		:			
	(b)	If yes, state at which stage –					
		Whether before, intermitently of	or				
		after treatment.		:			
	_						
23.	_	city of treated effluent sump, Gu	lard				
	Pond	if any.		:			
24.		e of disposal of treated effluents	, with				
	respe	ective quantity, m'/day					
	(i)	into stream/river (name of rive	r)	:			
	(ii)	into creek/estuary					
		(name of creek/estury)		:			
	(iii)	into sea		:			
	(iv)	into drain/sewer (owner of sew	er)	:			
	(v)	On land for irrigation on owned					
	. /	lease land. Specify cropped are					
		(To be supported by relevant d		ts)			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

1

:

:

- (vi) Quantity of treated effluent reused/ recycled
 Provide a location map of disposal arrangement indicating the outlet(s) for sampling
- 25. Quality of untreated/treated effluents (Specify pH and concentration of SS, BOD, COD and specific pollutants relevant to the industry. TDS to be reported for disposal on land or into stream/river.)

Enclose a copy of the latest report of analysis from the laboratory approved by State Board/Committee/Central Board/ Central Government in the Ministry of Environment & Forests. For proposed unit furnish expected characteristics of the untreated / treated effluent.

Part - C: Air emission asepcts

26. Fuel consumption:

		(Coal	LSHS	Furnace oil	Natural gas	Others (specify)
	(a)	Fuel consumption (TPD)			 ,,,, , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	(b)	Calorific value					
	(c)	Ash content %					
	(d)	Sulphur content %					
	(e)	Other (specify)					
27.	Deta	uls of stack:					
	(a)	Stack number(s)	:	1	2	3	4
	(b)	Attached to	:				
	(c)	Fuel type	:				
	(d)	Fuel quantity	:				
	(e)	Material of construction	:				
	(f)	Shape (round/rectangular)	:				
	(g)	Height, m (above ground level)) :				
	(h)	Diameter/size, in meters	:				
	(i)	Gas quantity, Nm³/hr.	:				
	(j)	Gas temperature, ° C	;				
	(k)	Exit gas velocity, m/sec.	:				
	(l)	Control equipment preceding t stack	he				

1

:

(Attach specifications including residue management systems of each of the control equipment indicating inlet/ outlet concentrations of relevant pollutants)

- 28. Do you have adequate facility for collection of samples of emissions in the form of port holes, platform, ladder etc. as per Central Board Publication "Emission Regulations Part-III" (December 1985)
- Quality of treated flue gas emissions and process emissions.
 (Specify concentration of criteria pollutants and industry/process-specific pollutants stack-wise. Enclose a copy of the latest report of analysis from the approved laboratory by State Board/Central Board/Central Government in the Ministry of Environment and Forests. For proposed units furnish the expected characteristics of the emission :

Part - D: Hazardous waste aspects

- 30. (a) Whether the unit is generating hazardous waste as defined in the Hazardous Waste (Management and handling) Rules, 1989, as amended.
 - (b) If so, the category No.

31. Authorisation required for*

- (i) Collection
- (ii) Reception
- (iii) Treatment
- (iv) Transport
- (v) Storage
- (vi) Disposal

of the hazardous waste

:

:

:

- Quantity of hazardous waste generated (kg/day) or (mt/month)
- 33. Characteristics of the hazardous waste(s).
 Specify concentration of relevant pollutants.
 Enclose a copy of the latest report of analysis from the laboratory approved by State Board/Central Board/Central Government in the Ministry of Environment and Forests).
 For proposed units furnish expected characteristics.
- 34. Mode of storage (intermediate or final) (describe area, location and methodology). :
- 35. Present treatment of hazardous waste, if any (give type and capacity of treatment units) :

36. Quantity of hazardous waste disposed

- (i) Within the factory :
 (ii) Outside the factory :
 (Specify location and enclose copies of agreement)
 (iii) Through sale (Enclose : documentary proof and copies of agreement)
 (iv) Outside State/Union Territory, if yes
 - particulars of (i) & (iii) above : (v) Other (specify) :

Part - E: Additional information

- 37. (a) Do you have any proposals to upgrade the present system for treatment and disposal of effluent/ emissions and/or hazardous waste
 - (b) If yes, give the details with time-schedule for the implementation and approximate expenditure to be incurred on it.
- 38. Capital and recurring (0&M) expenditure on various aspects of environment protection such as effluent, emission, hazardous waste, solid waste, tree plantation, monitoring, data acquisition etc. (give figures separately for items implemented/to be implemented).

:

:

:

:

:

;

:

:

- 39. To which of the pollution control equipment, separate meters for recording consumption of electric energy are installed?
- 40. Which of the pollution control items are connected to D.G. set (captive power source) to ensue their running in the event of normal power failure?
- 41. Nature, quantity and method of disposal of non-hazardous solid waste generated separately from the process of manufacture and waste treatment. (Give details of area/capacity available in applicant's land)
- 42. Hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals, Rules, 1989
 - (a) List of HC stored (imported & indigeneous)
 - (b) Details of isolated storage, if any
 - (c) Details of emergency preparedness plans (on-site/off-site) prepared
- Brief details of tree plantation/green belt development within applicant's premises.
- Information of schemes for waste minimisation, resource recovery and recycling – implemented and to be implemented, separately.
- 45. Any other additional information that the applicant desires to give.
- 46. I/We further declare that the information furnished above is correct to the best of my/our knowledge.
- 47. I/We hereby submit that in case of any change from what is stated in this application in respect of raw materials, products, process of manufacture and treatment and/or disposal of effluent, emissions, hazardous wastes etc. in quality and quantity; a fresh application for Consent/Authorisation shall be made and until the grant of fresh Consent/Authorisation no change shall be made.
- 48. I/We undertake to furnish any other information within one month of its being called by the Board/Committee.

- 49. I/We agree to submit to the Board an application for renewal of consent/authorisation in two months in advance before the date of expiry of the consent/authorisation validity period.

Yours faithfully,

Signature	•				•	•	•	•	•					•	•	•		•	•			
Name		• •					•	•		•		•	•	-			•	•				•
Designation	l		•		•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•			•	•	• •	•

Documents enclosed :

- 1. Demand Draft towards consent fee/authorisation.
- 2. Undertaking or affidavit or statement from Annual Report or certificate from Chartered Accountants in support of gross fixed capital investment.
- 3. Site plan/location map. (Compulsory for all new applications and for expansions).
- 4. Declaration regarding the distance of the unit from the bank of the main river or hightide mark of creek/estuary (declared under the Act) and in respect of stone crusher, for distance from highways and habitations
- 5. Layout plan showing the location of stacks (chimneys), effluent treatment plant, effluent disposal areas, air pollution control devices, hazardous waste treatment and disposal areas.
- 6. Manufacturing process flow sheet, with descriptive note on the manufacturing process for each product.
- 7. Copies of latest consent/authorisation/Environmental Impact Assessment Clearance
- 8. Copy of Small Scale Industries registration certificate, if applicable.
- 9. Copies of Letter of Intent / industrial licenses, clearances from the Department or any other relevant document (please state).
- 10. Copies of planning permission certificate issued by the local bodies/District Town & Country Planning/Metropolitan Development Authorities.
- Note: The documents at Sr.No.2 to 11 are necessary for first application. For applications for renewal only document at Sr.No.7 is necessary.

<u>SCHEDULE - II</u> [See rule 4] Annual Consent Fees to be charged by State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees for Grant of Consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

S.No	. Capital Investment	Consent to establish/ operate (Rs.)								
		Red	Orange	Green						
1.	Below 5 lakh	1,500	-1,000	500						
2.	5+ to 10 lakh	3,000	2,000	1,000						
3.	10+ to 50 lakh	15,000	10,000	5,000						
4.	50+ to 1 crore	30,000	20,000	10,000						
5.	1+ to 5 crore	75,000	50,000	25,000						
6.	5+ to 10 crore	1,20,000	80,000	40,000						
7.	10+ to 25 crore	1,50,000	1,00,000	50,000						
8.	25+ to 50 crore	1,80,000	1,20,000	60,000						
9.	50+ to 100 crore	2,25,000	1,50,000	75,000						
10.	100+ to 1000 crore	5,00,000	2,50,000	1,25,000						
11.	Above 1000 crores	10,00,000	5,00,000	2,50,000						

Note: Between the minimum and maximum consent fees in the eleven slabs mentioned above, more number of slabs of consent fees per year can be prescribed for by the State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.

<u>SCHEDULE - III</u> [See rule 5(4)] Format for report on processing of application for grant of consent / renewal

1.	Nam	e of the industry	:	
2.	Capi	tal investment	:	
3.	Capital investment verified From			Annual report/undertaking submitted by industry/ Chartered Accountant's Certificate
4	Year	of commissioning of the factory		
5.	(a) (b)	Category of industry as per the general classification approved by the Board/Committee & type Classification of the industry	:	RED/ORANGE/GREEN Large / Medium / Small
6.		gory as per specific notification case of sensitive location)	:	
7.	Loca (a) (b) (c) (d) (e) (f)	tion In an approved industrial area In sensitive area If yes name of the sensitive area In case of any other specific area Distance from river/ high tide line (crow fly distance) Distance from National/ State Highway Distance from the nearest habitation & its population	: : : : :	Yes/No Yes/No
8.	Stati	us of consent granted earlier	:	
Sr.N	0.	Proc. No. and Date		Validity (up to)
(a) (b) (c)		Water Air Hazardous Waste		
9.	(a)	Products manufactured (indicate cosented quantity)	:	

:

(b) By-product

:

- (c) Intermediate product(s) : (indicate present level of production) Is there any additional product/ byproduct proposed to be manufactured. If yes, mention name and quantity of the new products to be manufactured :
- (d) In case imported hazardous wastes are used as raw material, details about the permission obtained from MoEF, New Delhi, if any.
- 10. In case of expansion, please mention whether expansion is due to
 - a) Expansion in plant & machinery
 - b) Capacity utilisationc) Modernisation or de-bottle-necking

11. Water Pollution Control

(a) Water Budget

Domestic	Water Con (in K		Effluent Generation (in KLD)			
	Previous	Present	Previous	Present		
Industrial process generating bio- degradable wastewater						
Industrial process generating non- biodegradable wastewater						
Industrial cooling boiler feed, D.M. plant, etc.						

- (b) Is there any increase in sewage/trade effluent quantity generated, and if so, indicate the quantity
 [Discuss whether the increase in effluent quantity is acceptable or not]
- 12. Details of sewage/trade effluent treatment arrangements provided. If sewage and trade effluent are treated combinely, indicate the details & are these adequate/inadequate and comply.

Yes/No

:

:

:

- 13. Details of sewage/trade effluent disposal arrangements provided An examination of impact on environemtnal waters
- 14. Details of any additional sewage/trade effluent treatment & disposal arrangements proposed to be provided
- 15. Analysis report of treated waste water :

(a) Trade effluent or combined effluent

Date of sampling & sample collected by	pH between to	D.O. in mg/l	BOD in mg/l	COD in mg/l	SS in mg/l	O&G in mg/l	Other relevant parame- ters

(b) Sewage

Date of sampling and sample coll ected	pH	TSS in mg/l	BOD (3 days, 27°C)		

Note: In case of industries having effluent more than 500m³/day, latest analysis results of Joint Vigilance Sample should be mentioned.

16. (a) Air Pollution control

Stack No	Hoight	Diameter	Stack attached to (processing section, boilers and D.G. set)	Volume of gas	Velocity of gas	Air pollution control measures provided and their efficiency	Parameters
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- (b) Other Sources of process emissions :
- 17. D.G. set with capacity in KVA :

48

18.	Details with the name, type of boiler, steam generation capacity (t/hr) and quantity of fuel used in each boiler.	
19.	Details of air pollution control equipment installed	:
20.	Additional air pollution control measures proposed to be provided, if any.	:
21.	Fugitive emission - an assessment	:
22.	Noise levels - an assessment	:
23.	Hazardous Waste	
1.	Category and quantity of waste generated	:
2.	Arrangements for treatment of hazardous waste	:
3.	Arrangements for disposal of hazardous waste	:
4.	In case of waste being disposed by sale name of the party to whom the hazardous waste is sold	:
5.	In case of waste being stored in closed sheds/containers, indicate the details	:
6.	In case of waste being stored/disposed of in landfill. The details of the land fill site, location, dimensions, lining, capacity, etc.	:
7.	Whether leachate collection arrangements have been provided for the landfill site	:
8.	Whether leachate are connected to treatment facility, details of treatment	:
24.	Non Hazardous Solid Waste	
1. 2. 3. 4.	Type Quantity Arrangements for treatment Arrangements for disposal	:

49

:

:

;

;

:

:

:

1

25. Hazardous Chemicals

- (a) Details of the storage
- (b) Whether permission from concerned authorities like Directorate of Industrial Safety & Health, local body (or) Explosive Department is taken
- (c) Whether on-site disaster management plan is prepared and mock drill conducted periodically
- (d) Is public liability insurance is obtained as per Public Liability Insurance Act, 1991

26. Water Cess

- 1. Category of industry as per schedule II of Water(P&CP) Cess Act, 1977, as amended in 1991
- 2. Whether meters have been fixed at different places of water consumption
- 3. Period up to which water Cess has been paid by the unit
- 27. The period up to which the environment (audit) statement has been submitted by the unit.
- 28. Has the unit complied with the conditions stipulated in the Environmental clearance/previous consent as may be relevant

29. Tree Plantation

(a)	Total open space available within the		
	premises of the unit	:	Hectares
(b)	Tree plantation is done on	:	Hectares
(c)	No. of trees planted	. :	Nos.

<u>नाग 11</u>	खण्ड 3(ii)] भार	1 को राजपत्र : असाधारण
30.	Whether separate electric meter is installed for pollution control system	m(s) :
31.	Legal record of the unit.	:
32.	Whether any legal action has been t against the unit, if so, the details thereof.	aken :
Ren	arks	
(a)	Location	:
(b)	Whether product is permissible or n	ot :
(c)	Operation & maintenance of pollution	
•••	control system (treatment & dispose	
(d)	Adequacy of pollution control syste	m :
(e)	What are the standards to be prescr	
	and reasons for the proposed standa	ards :
(e)	Impact on the receiving environment - water and air - and comments the - including examination of nearby	
	industries	:
(f)	Have any public complaints been	
	received. If so, details thereof and	
	comments	:
Rec	ommendations	
(a)	Whether consent may be granted	: Yes/No
(b)	If Yes, validity period of consent	:
(c)	If No, further action recommended	:
(d)	Details of consent fees paid	:

For the year	D.D. No.	Date Amount	Bank	

Signature	:	•••••
Name	:	•••••
Designatio	n:	

<u>SCHEDULE - IV</u> [see rule 6(3)] Frequency of inspection and sampling

Sl. No.	Size of Industry	Category of Industry	Frequency of visit and effluent sampling
1.	Small scale	Red	Once in 12 months
2.	Small scale	Orange	Once in 3 years
3.	Non-polluting SSI/tiny units covered under procedure of simplified consent.	Green	Once in 3 years on random check basis
	Large & Medium Scale	Red	Once in 3 months
5.	Large & Medium Scale	Orange	Once in 6 months
6.	Large & Medium Scale	Green	Once in 12 months

Notes:

- (1) Sampling frequency for air emission (point source and ambient) shall be in accordance with the details given in the CPCB Document entitled "Emission Regulations Part III" December, 1985. SPCB/PCC may specify sampling frequency separately for the industries not covered in this document.
- (2) Industry be be directed to submit monitoring reports on monthly basis and as per the monitoring frequency and parameters stipulated in the consent order.
- (3) Depending on the manpower and availability of resources/infrastructure etc. SPCBs may improve upon the frequency as may be necessary.

SCHEDULE – V [see rule 7(1)]

Format for common consent order/authorisation

Pollution Control Board/Committee.....

Consent No.

Date:....

Consent to Establish/Operate under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, as amended and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, as amended and Authorisation/Renewal of Authorisation under Rule 5 of the Hazardous Wastes (Management & Handling) Rules, 1989, as amended. (to be referred as Water Act, Air Act and HW (M&H) Rules, respectively)

CONSENT is granted to M/s.

located in the area declared under the provisions of the Water Act/Air Act and authorisation under the provisions of HW (M&H) Rules subject to the provisions of the Act and the Rules and the Orders that may be made further and subject to the following terms and conditions:-

- 1. (a) The Consent to Establish/Operate is granted for a period up to.....
 - (b) The validity of the authorisation granted under HW (M&H) Rules, however, will be valid for a period of 2 years from the date of issue after which the industry shall submit a fresh application for authorsiation.
- 2. The Consent is valid for the manufacture of -

Sr. No.	Product	Maximum Daily and
		Annual Quantity

- 3. Conditions under Water Act:
 - (i) The daily quantity of trade effluent from the factory shall not exceed KLD
 - (ii) The daily quantity of sewage effluent from the factory shall not exceed KLD

- (iii) The daily quantity of water consumption shall not exceed KLD
- (iv) Trade Effluent:

Treatment.-The applicant shall provide comprehensive treatment system consisting of Primary/Secondary and/or Tertiary treatment as is warranted with reference to influent quality and operate and maintain the same continuously so as to achieve the quality of the treated effluent to the following standards before disposal.

	,			Mass standard
				(if applicable)
(1)	pH	Between	and	
(2)	Suspended Solids	Not to exceed	mg/L.	
(3)	BOD, 3 days, 27°C	Not to exceed	mg/L.	•••••
(4)	C.O.D.	Not to exceed	mg/L.	
(5)	Oil & Grease	Not to exceed	mg/L.	
(6)	TDS	Not to exceed	mg/L.	
(7)	Other specific			
	parameters			

(v) Trade Effluent Disposal Outlet Conditions:

······

(A map attach indicating the outlet positions)

(vi) Sewage Treatment. - The applicant shall provide comprehensive treatment system as is warranted with reference to influent quality and operate and maintain the same continuously so as to achieve the quality of treated effluent to the following standards before disposal:-

pH	Between	and
Suspended solids	Not to exceed	mg/l.
B.O.D.,3 days, 27°C	Not to exceed	mg/l.

(vii) Sewage Disposal Outlet Conditions:

••••••	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••

4.

5.

(viii) Non-hazardous solid waste:

	Type of waste	-	Treatment	Disposal		
(i x)	Other Conditions:					
	*****			••••••••••••••••		
Con	The applicant shall comply with the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977, as amended (to be referred as Cess Act) and Rules there under:					
	e industry falls in the e there under".	!	category of the (less Act and	l the Rules	
The	daily water consump	tion for th	e following categorie	s is as unde	er:	
(i) (ii) (iii)	(ii) Domestic purpose KLD					
(iv)	pollutants are easily	bio-degrada			KLD	
(v)	are not easily bio-dee Others such as agricu	gradable and	l are toxic		KLD KLD	
The applicant shall regularly submit to the Board the returns of water consumption in the prescribed form and pay the Cess as specified under Section 3 of the Cess Act.						
Con	Conditions under Air Act:					
(i)	The applicant cha	11 arect th	e chimnew(s)/stack	r(s) of the	following	

(i) The applicant shall erect the chimney(s)/stack(s) of the following specifications:-

Sl. No.	Chimney/stack	Volume	Height, m	Тор	Velocity of
	attached to	Nm³/hr.		Diameter	gas emission,
				m	m/sec.

(ii) The applicant shall install a comprehensive air pollution control system consisting of control equipment as detailed below and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

<u>Stack</u>	<u>Control Eq</u>	uipment	<u>Relevant parameters</u> <u>& limits</u>
		••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*****	•••••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Standards fo	r emissions of air	pollutants:	
(i) SPM,	Not to exceed	•••••	
(ii) SO,	Not to exceed		
(iii) NO	Not to exceed		
(iv)	Not to exceed		
(v)	Not to exceed		
(vi)	Not to exceed		
(vii)	Not to exceed		

(iii) The applicant shall observe the following fuel consumption:-

Sl. No. Type of fuel		Maximum quantity
	& Consumption	/day and month,

- (iv) The applicant shall provide ports in the chimney/stack and facilities such as ladder, platform etc. as per requirements for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection and use by the Board's staff. The chimney/stacks attached to various sources of emission shall be designated by numbers such as S-1, S-2 etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
- (v) The industry shall take adequate measures for control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
- (vi) Other Conditions:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- 6. Conditions under Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules:
 - The authorisation is granted to operate a facility for handling/collection/ reception/treatment/recycling/storage/transport/disposal of hazardous waste.
 - (ii) The applicant shall handle hazardous wastes as specified below:-

Sr. No.	Category of Waste	Type of Wastes	Quantity Disposal

(iii) Treatment:

.....

- (iv) Storage
- (v) This authorisation does not allow any import of hazardous or recyclable waste unless separate permission is obtained from the Board/Committee.
- 7. Self monitoring schedule:

Applicant shall get the samples of treated effleunts/emissions/hazardous wastes/ leachates analysed atleast once in from the laboratory recognised by the SPCB/PCC/CPCB/MoEF, New Delhi and conform to the limits stipulated. Test report shall be sent to the State Pollution Control Board/Committee. [Analysis frequency could be different for various sources as may be specified by the Board/Committee].

8. The applicant shall comply with the additional Conditions as stipulated in the Appendix [See rules 7(3)].

(.....) Member Secretary

(When consent issuing authority is other than Member Secretary, state)-

Name	:	
Designation	:	
Office Address	:	

3692 GI/99-8.

То

The Applicant.

Copy to:

1. 2.

3.

4.

5.

<u>SCHEDULE - VI</u> [see rule 8] Scheme of authorisation

The authorisation shall be as under: -

Category	Sub Regional Officer	Regional Officer	Nember Secretary	Chairman *
A. Industr	ries			
Simplified Consent	All	-	-	-
'RED' category	NIL	NIL	Project with capital investment upto Rs.15 crores.	Project with capital investment above Rs.15 crores.

भाग II—खण्ड 3	(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण			59
1	2	3	4	5	
'ORANGE' category	NIL	NIL	Project with capital investment upto Rs.100 crores	Project with capital investment above Rs.100 crores	
'GREEN' category	Project with capital investment upto Rs.3 crores.	Project with capital invest -ment above Rs.3 crores upto 10 crores	Project with capital investment above Rs.10 crores and upto Rs.500 crores	Project with capital investment above Rs.500 crores	
B. Local boidies	NIL	NIL	'C' class Municipal Councils.	A & B Municipal Councils, Corporations	

* In case of part time Chairman, he/she shall be assisted by a 5-member Technical Committee to be set up by the Board as per composition given below:

- (i) Experts from academic institution(2)
- (ii) Representative/nominee from industry association such as CII, FICCI, ASSOCHEM, etc.
- (iii) Representative/nominee from voluntary organisation
- (iv) Member Secretary
- Note: The scheme of authorisation is illustrated herein is only for guidance. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may adopt a scheme suitable to local requirements.

<u>SCH</u>	EDUL	E -	VII	
r	1		43.7	

[see rule 11(1)]

Industry's data sheet for consent management Pollution Control Board INSTRUCTIONS TO FILL THE SHEET Please fill the sheet in clear, readable writing. Mark tick (_/) for correct option All dates filled in should be in DD/MM/YY format. Code & description list is available for the Items marked with astensks (*) and should be filled accordingly

(as per ASI)

Ż

INDUSTRY CODE.

INDUSTRY NAME M/s.

NAME & DESIGNATION OF CONTACT PERSONS:

1

1)

2)

3)

4)

OFFICE ADDRESS

FACTORY ADDRESS:

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DISTRICT	*STATE	PINCODE
			·
+701/F			

*ZONE		TELE/TELEX	
1			
	L		<u> </u>

*INDUSTRY TYPE		

S I	N	L	CAP	SCAP	NONE	RED	ORANGE	GREEN
			1	2	0	R	0	G
							.	
*CESS			CLASS OF	A1	A2	<u>.</u>	SW1(A3)	SW2(A4)
CATEGORY		Γ	WATER	1	2		3	4
· · · -								
REGD NO.		DATEC	OF COMMISSI	ONING			OBTAINED	<u> </u>
NO. OF SHIFTS		ATCH ONTINUOUS	OR B	с то	TAL WORKEI	RS	RESIDEN WORKER	

OPERATING PERIOD (FROM, TO......)

INVESTMENT INFORAMTION

PLANT & MACHINERY	WATER POLLUTION CONTROL	ANNUAL INVESTMENT	ANNUAL TURNOVER

SITE DECLARED PROHIBITED AREA Y N ENVT CLEARANCE REQUIRED Y N

IF CLEARANCE REQUIRED

FOR EXISTING STATE CENTRAL FOR EXPANSION Y N STATE CENTRA	FOR EXISTING
---	--------------

PRODUCT DETAILS:

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT
· - ···			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u> </u>			
<u> </u>			
!			

RAW MATERIALS DETAILS:

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT
<u> </u>			
·			

GENCESS

AIR/WATER CONSENT ORDER NO .: _____

STAM	NDARDS STAN	DARDS STANDARDS
BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l
OIL mg/l	pH Upper	pH Lower
Zn mg/l	Cr mg/l	Ni mg/l
Hg mg/l		

Effluent flow . sewage ____KLD; Trade effluent ____KLD

(Note: The description should not exceed 12 characters, and the LIMIT values should not exceed 99 99)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	DESCRIPTION	
PARAMETER 1		
PARAMETER 2		
PARAMETER 3		
PARAMETER 4		
PARAMETER 5		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TO BE CHARGED	Y	

Note . The description should not exceed 12 characters and the RESULT values should not exceed 99.99)

	DESCRIPTION	RESULTS
PARAMETER 1		
PARAMETER 2		
PARAMETER 3		
PARAMETER 4		
PARAMETER 5		

WATER CONSUMPTION

COOLING	DOMESTIC	PROCESS	TOXICS

PAYMENT DETAILS

CHQ / DRAFT NO	AMOUNT	DATE		
CHU/DRAFINO (
	74100111			
			*	

WATER

WATER CONSENT NO.	FR	ESH/RENEWAL	F	R	GRANTED/DEN	IED	G	D
DATE OF CONSENT		DATE OF REN	EWA	Ĺ	1			

COOLING WASTE	DOMESTIC (cu m/day)	INDUSTRY (cu m/day)

WHETHER DOMESTIC & INDUSTRIAL EFFLUENT COMBINED	Y/N	
TOTAL EFFLUENT GENERATED		
WASTE WATER TREATED		
MODE OF DISPOSAL OF TREATED EFFLUENT		
EXPENDITURE FOR CONTROL OF WATER POLLUTION		
ANNUAL OPERATION & MAINTENANCE COST OF EFFLUENT TREATMENT		

*ETP TYPE	INSTALLATION DATE		COMISSIONING DATE		· · · · · · · ·	
PERFORMANCE OF	ETP	ADEQUA	TE / INADEQUATE	A	1	
		·				
ELECTRIC METER P					 N	

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

	BY INDUSTRY	BY BOARD
NO. OF SAMPLING FREQUENCY / YEAR		
DATES OF LAST SAMPLE / VISIT		

NAME OF RO / SRO / FO . _____

STATE WHETHER THE INDUSTRIAL EFFLUENT HAVING

TOXIC	Y	N	SMELL	Y	N
IRRITATION OR HARMFUL	Y	N	CORROSIVE	Y	N
COLOR	Y	N			1

LABORATORY FACILITIES Y / N

TYPE & QUANTITY OF SOLID WASTE I.

	TREATMENT MODE	DISPOSAL MODE
SOLID WASTE		

WATER CESS	PREVIOUS	PRESENT
DOMESTIC (KLD)		
INDUSTRIAL (KLD)		
COOLING	1	
PROCESSING		
BIODEGRADABLE		
NON - BIODEGRADABLE		
AGRICULTURE		
TOTAL CONSUMPTION		

AIR

AIR CONSENT NO	FRESH / RENEWAL	F R GRANTED/DENIED	G	D
DATE OF CONSENT	D.	ATE OF RENEWAL		

AIR POLL	UTION CONTROL TRYPE:		
*CODE	INSTALLATION DATE	COMING DATE	

Y N

IMFLEMENTATION SCHEDULE IMPLEMENTATION DONE

*AREA CLASSIFICATION . ____

EQUIPMENT INSTALLATION / PROPOSED

PARAMETERS	SAMPLE RESULTS (STACK EIMSSION/ AAQ M)	STANDARD (Stack emission / AAQ)
SO ₂		
NOx		
TSP		

DATE OF COLLECTION OF SAMPLE

	BY INDUSTRY	BY BOARD
NOS. OF SAMPLING FREQUENCY / YEAR		
DATES OF LAST SAMPLE / VISIT		
AIR POLLUTION CONTROL	I P COMP	LETION DATE
FOURMENT INSTALLATION / PROPOSED		

3692 GI/99-10

ANNUAL OPERATION & MAINTENANCE COST	

Y

LABORATORY FACILITIES

AIR STACK

(NOTE: If there are more than 5 Stacks, including Boiler & D.G. sets, please attach a separate list, with relevant details)

N

STACK NO	COSTN. MATERIAL	ATTACHED TO	
1			
2.			
3			
4			
5.			

	ABOVE ROOF (METERS)	ABOVE GROUND LEVEL (METERS)
STACK HEIGHT		

STACK TOP		INSIDE DIAMETER AT TO (METER)
STACK IDP	ROUND	

TYPES OF FUEL USED

*FUEL CODE	FUEL NAME	FUEL USED FOR	FUEL QUANTITY	ASH, %

TEMP	GAS QTY	VELOCITY	SO2	СО	NO	SPM	PARTICULATES	OTHER

S.NO.	NAME OF CONTROL EQUIPMENT	COST	MAINTENANCE & OPERATION

HAZARDOUS WASTE

APPLICATION CODE	APPLICATION DATE	· · · · ·	

AUTHORSIATION REQUIRED FOR

AUTHORSIATION F	REQUIRED FOR			_	
COLLECTION	RECEPTION	TRANSPORTAION	TREATMENT	STORAGE	DISPOSAL

GENERATION OF HAZARDOUS MATERIAL (Y / N)

CATEGORY	TYPE	QTY.	

TOTAL CAPITAL INVESTMENT	YEAR OF COMMENCEMENT
(IN RUPEES)	

DISPOSAL WAY FOR THE SELECTED

CATEGORY	TYPE	DISP.	

CONSTITUENTS FOR THE CATEGORIES

CONSTITUTES TYPE LIMIT	

SOLID WASTES (NON-HAZARDOUS)

TOTAL QUANTUM OF GENERATION (IN METRIC TONES ONLY) METHOD OF DISPOSAL

STORAGE MODES:

	HAZARDOUS	NON-HAZARDOUS SOLID WASTE
1		
2		
3		
4		

NAME: _____

SIGNATURE

<u>SCHEDULE – VIII</u>

[see rules 3(2) and 12] Classification of industries for consent management [Red, Orange & Green Categories]

- I. List of Industries under 'RED' Category
- A. Industries identified by Ministry of Environment & Forests, Govt. of India as heavily polluting and covered under Central Action Plan, viz. ;
 - (1) Distillery including Fermentation industry.
 - (2) Sugar (excluding Khandsari)
 - (3) Fertiliser.
 - (4) Pulp & Paper (Paper manufacturing with or without pulping).
 - (5) Chlor alkali
 - (6) Pharmaceuticals (Basic) (excluding formulation).
 - (7) Dyes and Dye-intermediates.
 - (8) Pesticides (Technical) (excluding formulation).
 - (9) Oil refinery (Mineral oil or Petro refineries).
 - (10) Tanneries
 - (11) Petrochemicals (Manufacture of and not merely use of as raw material).
 - (12) Cement
 - (13) Thermal power plants
 - (14) Iron and Steel (Involving processing from ore/scrap/Integrated steel plants)
 - (15) Zinc smelter
 - (16) Copper smelter
 - (17) Aluminium smelter
- B. Industries manufacturing following products or carrying out following activities :-
 - (1) Tyres and tubes Vulcanisation/Retreading/ moulding).
 - (2) Synthetic rubber.
 - (3) Glass and fibre glass production and processing.
 - (4) Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black etc.

- (5) Paints and varnishes (excluding blending/mixing).
- (6) Pigments and intermediates.
- (7) Synthetic resins.
- (8) Petroleum products involving storage, transfer or processing.
- (9) Lubricating oils, greases or petroleum based products.
- (10) Synthetic fibre including rayon, tyre cord, polyester filament yarn.
- (11) Surgical and medical products involving prophylactics and latex.
- (12) Synthetic detergent and soap.
- (13) Photographic films and chemicals.
- (14) Chemical, petrochemical and electrochemicals including manufacture of acids such as Sulphuric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid etc.
- (15) Industrial or inorganic gases.
- (16) Chlorates, perchlorates and peroxides.
- (17) Glue and gelatine.
- (18) Yarn and textile processing involving scouring, bleaching, dyeing, printing or any effluent/emission generating process.
- (19) Vegetable oils including solvent extracted oils, hydro-generated oils.
- (20) Industry or process involving metal treatment or process such as picking, surface coating, paint baking, paint stripping, heat treatment, phosphating or finishing etc.
- (21) Industry or process involving electroplating operations.
- (22) Asbestos and asbestos-based industries.
- (23) Slaughter houses and meat processing units.
- (24) Fermentation industry including manufacture of yeast, beer etc.
- (25) Steel and steel products including coke plants involving use of any of the equipment's such as blast furnaces, open hearth furnance, induction furnance or arc furnance etc. or any of the operations or processes such as heat treatment, acid pickling, rolling or galvanising etc.
- (26) Incineration plants
- (27) Power generating plants (excluding D.G. Sets).
- (28) Lime manufacturing
- (29) Tobacco products including cigarettes and tobacco processing.
- (30) Dry coal processing/Mineral processing industries like ore sintering, palletization etc.
- (31) Phosphate rock processing plants.
- (32) Coke making, coal liquefaction, coaltar distillation or fuel gas making.
- (33) Phosphorous and its compounds.
- (34) Explosives including detonators, fuses etc.
- (35) Fire crackers.
- (36) Processes involving chlorinated hydrocarbons.
- (37) Chlorine, fluorine, bromine, iodine and their compounds.
- (38) Hydrocyanic acid and its derivatives.
- (39) Milk processing and dairy products (Integrated Project).
- (40) Industry or process involving foundry operations.
- (41) Potable alcohol (IMFL) by blending or distillation of alcohol.
- (42) Anodizing.
- (43) Ceramic/refractories.
- (44) Lead processing and battery reconditioning & manufacturing including lead smelting.

- (45) Hot Mix plants
- (46) Hospitals
- (47) Mining and ore-beneficiation
- II. List of Industries 'ORANGE" Category.
 - (1) Manufacture of mirror from sheet glass and photoframing.
 - (2) Cotton spinning and weaving.
 - (3) Automobile servicing and repairs stations.
 - (4) Hotels and restaurants.
 - (5) Flour mills (excluding Domestic Aatta Chakki)
 - (6) Malted food.
 - (7) Food including fruits and vegetable processing.
 - (8) Pulping and fermenting of coffee beans.
 - (9) Instant tea/coffee, coffee processing.
 - (10) Non-alcoholic beverages (soft drinks)
 - (11) Fragrances and industrial perfumes.
 - (12) Food additives, nutrients and flavours.
 - (13) Fish processing.
 - (14) Organic nutrients.
 - (15) Surgical and medical products not involving effluent/emission generating processes.
 - (16) Laboratory-wares.
 - (17) Wire drawing (cold process) and bailing straps.
 - (18) Stone crushers.
 - (19) Laboratory chemicals involving distillation, purification process.
 - (20) Tyres and tubes vulcanisation, vulcanisation, retreading moulding.
 - (21) Pesticides/Insecticides/Fungicides/Herbicides/Agrochemical formulation.
 - (22) NPK Fertilisers/Granulation.
 - (23) Pharmaceuticals formulation.
 - (24) Khandsari sugar.
 - (25) Pulverizing units.
- III. List of Industries under "GREEN" categor
- A. Industries in Small Scale, Cottage/Village category suggested under notification of the State Government/Union Territory for issuance of simplified NOC/Consent from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee, as the case may be.
- B. All those industries or processes which are not covered under the "Red" and/or "Orange" category; An illustrative list is provided below.
 - (1) Wasting of used sand by hydraulic discharge.
 - (2) Atta-chakkies.
 - (3) Rice mullors.
 - (4) Steeping and processing of grains.
 - (5) Mineralised water.
 - (6) Dal mills.
 - (7) Bakery products, biscuits confectionery.
 - (8) Groundnut decorticating (dry).

- (9) Supari (Betelnut) and masala grinding.
- (10) Chilling plants and cold storages.
- (11) Ice-cream or Ice-making.
- (12) Tailoring and garment making.
- (13) Cotton and woolen hosiery.
- (14) Apparel making
- (15) Handloom weaving
- (16) Shoelace manufacturing
- (17) Gold and silver thread zari work.
- (18) Gold and silver smithy.
- (19) Leather footwear and leather products excluding tanning and hide processing.
- (20) Musical instruments manufacturing.
- (21) Sports goods.
- (22) Bamboo and cane products (only dry operations)
- (23) Cardboard or corrugated box and paper products (Paper or pulp manufacturing excluded).
- (24) Insulation and other coated papers (Paper or pulp manufacturing excluded).
- (25) Scientific and mathematical instruments.
- (26) Furniture (wooden and steel).
- (27) Assembly of domestic electrical appliances.
- (28) Radio assembling.
- (29) Fountain pens.
- (30) Polythene, plastic and P.V.C. goods through extrusion moulding.
- (31) Rope (cotton and plastic).
- (32) Carpet weaving.
- (33) Assembly of air coolers, conditioners.
- (34) Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles.
- (35) Electronics equipment (Assembly).
- (36) Toys.
- (37) Water softening and demineralised plants.
- (38) Paint (by mixing process only).
- (39) Candles.
- (40) Carpentry (excluding saw mill).
- (41) Oil ginning/expelling (no hydrogenation/refining).
- (42) Jobbing and machining.
- (43) Manufacture of steel trunks and suitcases.
- (44) Paper pins and U-clips.
- (45) Block making for printing.
- (46) Optical frames.
- (47) Powerlooms.//handlooms (without dyeing & bleaching).
- (48) Printing press.
- (49) Garments stitching, tailoring.
- (50) Thermometer making.
- (51) Footwear (rubber).
- (52) Plastic processed goods.

- (53) Medical and surgical instruments
- (54) Electronic and electrical goods.
- (55) Rubber goods industry.
- Note: The industry which do not fall any of the above mentioned three categories (i.e. Red/Orange/Green), decision with regard to their categorisation will be taken by a committee at Head Office level comprising of the Member Secretary and two senior offices of the Board/Committee.